मई 2020

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बी.एस. जामोद

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

4 ▸ कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंचायत राज अमले की भूमिका
7 ▸ प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी : लगभग 15 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की हुई घर वापसी
10 ▸ कोविड सूचनाओं का आधार पंचायत राज की सांख्यिकी व्यवस्था
12 ▸ मध्यप्रदेश में संचार का माध्यम पंचायत राज व्यवस्था का सूचना तंत्र
14 ▸ प्रवासी मजदूरों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण
16 ▸ संक्रमित मजदूरों के क्वारेंटाइन की व्यवस्था
18 ▸ मध्यप्रदेश में प्रवासी मजदूरों की भोजन व्यवस्था, सत्कार और सेवा की मिसाल
21 ▸ महामारी संकट में सजग प्रहरी बनी पंचायतें
22 ▸ मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना
24 ▸ जीवन अमृत योजना : मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिये कारगर है आयुर्वेदिक काढ़ा
26 ▸ श्रम सिद्धि अभियान : हर मजदूर को काम देने का संकल्प
32 ▸ प्रशिक्षण : ग्राम पंचायतों को कोविड रिस्पांसिबल बनाने के लिये पंचायत राज अमले तथा स्व–सहायता समूहों के साथ सीधा संवाद
34 ▸ आजीविका : स्व–सहायता समूहों ने 1 करोड़ से अधिक मास्क का किया निर्माण
37 ▸ आजीविका स्व–सहायता समूह : गांवों में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अहम कड़ी
40 ▸ गांवों में बैंक सखियों ने किया पैसों का लेन–देन
43 ▸ ग्राम पंचायत विकास योजना : आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर प्रदेश
45 ▸ कोरोना संकट में सड़क और पुल निर्माण का कीर्तिमान
47 ▸ ग्राम जीवन और विकास को अद्भुत गति दी सरकार ने
48 ▸ देश में पहली बार मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में महिला स्व–सहायता समूहों की भागीदारी

संपादक जी,

संपादक जी,
मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च अंक पढ़ा। इसमें हमने जाना कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मध्यप्रदेश में क्या कुछ किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया, छात्र, मजदूर, किसान सबकी चिंता कर रहे हैं।
यह पढ़कर अच्छा लगा। संकट के समय में सरकार का साथ सहयोग ही जनता की अपेक्षा है। जन–अपेक्षा पर खरी उतरती सरकार का यह कदम सराहनीय है।

– **निर्मला सिंह राजपूत**
हरदा (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के मार्च अंक में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सरपंचों के साथ संवाद आलेख पढ़ा। पंचायत राज दिवस के अवसर पर यह एक अच्छा संयोग रहा कि देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के प्रतिनिधि से सीधे संवाद किया। लोकतंत्र की पहली और शीर्षस्थ इकाई ने एक साथ विकास और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री का कोरोना संकट के इस दौर में एक साथ देश की सभी पंचायतों के माध्यम से आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया जाना निश्चित ही जनमानस के लिए प्रभावकारी रहेगा।

– **अनिल कुमार शर्मा**
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के मार्च अंक में महिलाओं के संदर्भ में विशेष सामग्री प्रकाशित की गई। एक तरह से यह महिला विशेषांक है। मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के प्रयास और सफलता, प्रेरक भी है और अनुकरणीय भी। प्रदेश में महिलाओं ने समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता का जो ताना बाना निर्मित किया है। वह अद्वितीय है। गांव, देश की आधारभूत अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में आधी आबादी की समृद्धि के यह समाचार विकास के लिये अच्छे संकेत हैं।

– **अंकुर सेंगर**
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका में आपके द्वारा पंचायत गजट स्तम्भ में शासकीय आदेश प्रकाशित किये जाते हैं। इसमें शासन के निर्णय और योजनाओं के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश प्राप्त होते हैं। मार्च अंक में विश्व–व्यापी कोरोना महामारी से लड़ने के लिये निर्देश प्रकाशित किये गये हैं। इसमें त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिये कार्य और दायित्व जारी किये हैं। पंचायत के तीनों स्तरों पर कोरोना वायरस से लड़ने के निर्देशों से निश्चित ही जहां पंचायत कर्मियों को कोरोना संकट से बचाव के लिये कार्य करने में व्यवहारिक स्तर पर उपयुक्त मार्गदर्शन मिला, वहीं पंचायिका में प्रकाशित किये जाने पर यह निर्देश पाठकों तक पहुंच सका। इस तरह के नीतिगत प्रकाशन के लिये धन्यवाद।

– **वीरेन्द्र कुशवाहा**
खुरई (म.प्र.)

बी.एस. जामोद
संचालक

प्रिय पाठको,

विश्वव्यापी कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने देश-दुनिया पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 23 मार्च को समूचे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश को बचाने के लिये यह लॉकडाउन आवश्यक भी था। लॉकउाउन के दौरान मानो सब कुछ थम सा गया, जो जहाँ था वहीं रुक गया। इस पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा था। ग्रामीण मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था पर कई तरह की जिम्मेदारियां थीं लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाना, कोरोना महामारी से अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था में जुटे स्वास्थ्य अमले को सहयोग करना, गरीब ग्रामीणों के भोजन, राशन की व्यवस्था करना। इन सबके बीच बड़ी समस्या ने तब आकार लिया जब प्रवासी श्रमिक अपने गांव वापस लौटने लगे श्रमिकों की व्यवस्था दो तरह से की जानी थी एक तो बाहर से आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच, उनके क्वारेंटीन होने की व्यवस्था, उनके रहने, भोजन, मास्क, सेनेटाइजर का प्रबंधन करना। दूसरा जो मध्यप्रदेश के बाहर के श्रमिक, प्रदेश के गांव में रुक गये थे उन्हें उनके घर पहुंचाना। इस विकट परिस्थिति में त्रि-स्तरीय पंचायती राज अमले ने दिन-रात काम कर दायित्व का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिये कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सहयोगी भूमिका में रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है इस महामारी में कोई भूखा न रहे सभी को उपचार मिले। व्यवस्था में जुटे त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अधिकारी-कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य के प्रति समर्पण से गांव-गांव में राशन, भोजन, दवाई इलाज की व्यवस्था सुलभ हो रही है। इस दौरान एक और बड़ी समस्या ग्रामीणों और अस्वस्थ लोगों को मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध करवाना था। ऐसे संकट के समय में हमारे आजीविका मिशन की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मोर्चा थामा। मास्क, सेनेटाइजर ही नहीं गांव में ही पी.पी.ई. किट और कोरोना सेफ्टी सूट का भी निर्माण कर लिया। इन सभी आवश्यक वस्तुओं के स्थानीय स्तर पर निर्माण से गांवों को बहुत बड़ी ताकत मिली। इन्हें पंचायत राज अमले द्वारा जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है।

पंचायिका का यह अंक कोविड-19 और कोरोना महामारी के संकट और बचाव पर केन्द्रित है। इसमें प्रवासी श्रमिकों की वापसी, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उन्हें क्वारेंटाइन करना, उनकी भोजन व्यवस्था, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, श्रम सिद्धि अभियान, बैंक सखियों द्वारा घर पहुंच बैंक के माध्यम से किये गये अभूतपूर्व कार्य, कोरोना से लड़ने के लिए स्व-सहायता समूहों के जज्बे और कार्य तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत शत-प्रतिशत किये गये कार्यों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

हम सभी जानते हैं कि अब तक कोरोना का कोई उपचार नहीं है। इससे बचाव ही इसका उपचार है। ऐसे में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया जाना जरूरी है। इसके लिये मुख्यमंत्री जी ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। इसमें आयुष विभाग द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक औषधियों को गांव-गांव में वितरित किया जाना है। इस कार्य को पंचायत राज अमले और आयुष विभाग ने मिलकर किया है। जीवन अमृत योजना और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना से बचाव से संबंधित जानकारी को भी पंचायिका के इसी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस अंक में बस इतना ही, उम्मीद है कि पंचायिका का यह अंक आपके लिये उपयोगी और मार्गदर्शक रहेगा। कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक, पंचायतराज

कोरोना वायरस से बचाव के लिए

पंचायत राज अमले की भूमिका

मध्यप्रदेश के गांवों में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और बाहर से आये मजदूरों का संरक्षण एक चुनौती भरा कार्य था। लॉकडाउन के समय से ही त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सम्पूर्ण अमले ने साथी और सहयोगी की भूमिका में मोर्चा संभाला। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन और संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद के समन्वय में पंचायत राज अमले द्वारा सभी कार्य सुनियोजित स्वरूप में सम्पन्न किये जा रहे हैं। गांव में लॉकडाउन के नियमों का पालन, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और प्रवासी मजदूरों की जानकारी, प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जाँच, उनके रहने, खाने की ही नहीं उनके घर पहुंचाने तक की व्यवस्था का कार्य पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ही किया जा रहा है। पंचायत राज की सुचारु व्यवस्था और सर्वे का सटीक तंत्र ही है जिससे हम कोरोना महामारी की गांवों की जमीनी हकीकत जान पा रहे हैं। यह जानकारी ग्राम पंचायत से जनपद, जनपद से जिले और जिले से पंचायत राज संचालनालय के राजधानी भोपाल स्थित राज्य कार्यालय तक पहुंचती है। इसकी हर दिन मॉनीटरिंग अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक पंचायत राज संचालनालय द्वारा की जा रही है।

विश्व व्यापी कोरोना वायरस के प्रकोप से समूचा देश प्रभावित है। ऐसे में आवश्यक है इस महामारी से बचाव के लिए उपाय किये जायें। इस प्रकोप से बचाव के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सक्रिय भूमिका में है। ग्रामीण मध्यप्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिये हमें कई स्तर पर जूझना है। इसके लिए सुनिश्चित कार्य योजना को अमल में लाना जरूरी था। इसीलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत राज संचालनालय के संचालक श्री बी.एस. जामोद द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के दायित्व सुनिश्चित किये गए।

ग्राम पंचायत स्तर पर :

- पंचायत स्तर पर राहत कार्य के लिये किये गये कार्य के संबंध में आय-व्यय की आधारभूत जानकारी रखी जायेगी।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उससे संबंधित अन्य निकाय द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण में सहयोग दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत से रोज़गार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखी जायेगी।
- राहत कार्यों में प्रशासन को सक्रिय सहयोग दिया जायेगा।
- आपदा से पीड़ित लोगों को राहत दिलवाने के लिए आवश्यक कार्य किया जायेगा।
- जनपद पंचायत के कार्यों में महामारी में आपतिक सहायता की व्यवस्था करना शामिल किया गया है।

जिला पंचायत स्तर पर दायित्व: जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के समस्त क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनीटरिंग और मार्गदर्शन करना।

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संधारित किये गये कार्यों, संकर्मों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना। अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधियों को नियत मापदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को आवंटित करना।

जिला पंचायत द्वारा कोरोना के प्रकोप और संक्रमण से बचाव के प्रयासों में पंचायतों के तीनों स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित की

जाये।

जागरुकता और जानकारी : पंचायत राज संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचाना है। अतः त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को इस बीमारी से बचाव और रोकथाम की सही और पूर्ण जानकारी रखना जरूरी है।

सभी को बीमारी की रोकथाम में मदद के लिए जारी की गई स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों तथा जनपद और जिले के नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बर रखना है। ग्राम स्तर पर इस बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिये उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को जागरूक करने एवं बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना और पालन सुनिश्चित करना। शासन के आदेश-निर्देशों की जानकारी लोगों के बीच प्रसारित करना।

आवश्यक पाबंदी लगाना : यह बीमारी ड्रापलेट से फैलती है, इसलिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को जिनमें भीड़ जमा होती है शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जावे तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त समुचित उपाय किये जायें। गांवों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। गांवों में जगह-जगह चौपालों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाते हुए लोगों को अपने-अपने घरों में रहने के निर्देश दिये जायें। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गांव तथा घर से बाहर न निकले।

सामुदायिक सेवाओं के उपयोग के लिए की जाने वाली व्यवस्था : उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, हैंडपम्प आदि का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बनाना एवं इसकी निगरानी करना। दुकानों पर सेनेटाइजर अथवा साबुन व पानी की व्यवस्था करना। सामुदायिक सेवा स्थलों

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये प्रयास

- राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जिस पर प्रतिदिन जिलों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा मुख्यमंत्रीजी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अलावा विभागीय स्तर पर भी साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की जाकर समीक्षा की जा रही है।
- 14वां वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त आवंटन रुपये 1830.07 करोड़ में से वित्त विभाग से प्रदत्त अनुमति अनुसार 15% राशि रुपये 275.00 करोड़ कोविड महामारी के रोकथाम के लिये ग्राम पंचायतों को जारी किये गये हैं।
- कोविड महामारी की रोकथाम अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अधिकतम राशि रुपये 30 हजार तक (कुल 68.43 करोड़) भोजन एवं आश्रय व्यवस्था पर तथा 02.5% राशि (कुल रुपये 45.75 करोड़) साफ-सफाई, फेस मॉस्क, साबुन, सेनेटाइजर, बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन, पी.पी.ई. किट आदि पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया।
- पंच-परमेश्वर योजना की शेष राशि ग्राम पंचायतों को 1555.07 करोड़ भी जारी कर दी गई है।
- लॉकडाउन घोषित होने पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों में लौटे हैं, अब तक लगभग 15 लाख से अधिक श्रमिक लौटे हैं। इनकी समुचित निगरानी रखी गई है। राज्य एवं जिले की सीमा पर चेक पोस्ट व राहत कैम्प में कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पुलिस बल, मेडिकल टीम तथा पंचायत सचिव सहित स्थानीय अमला मौजूद रहता है। श्रमिकों के चेक पोस्ट पर पहुंचते ही स्क्रीनिंग की जाती है तथा अस्वस्थता के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। कैम्पों में मास्क, साबुन, पानी, भोजन व आश्रय की सुविधा प्रदाय की जाती है।
- स्वस्थ श्रमिकों को होम क्वारेंटाइन में रखा जाता है तथा प्रारंभिक अस्वस्थता के लक्षण पाये जाने पर संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाता है।
- **भोजन तथा राशन –** ग्रामीण क्षेत्र में जिन परिवारों को भोजन तथा राशन की आवश्यकता है उन्हें 14वें वित्त, राहत, एफ.पी.एस., स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से भोजन तथा राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- **आयुष दवाइयां –** ग्रामीण क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए विभाग के सहयोग से संपूर्ण मध्यप्रदेश में आयुर्वेदिक दवाएं, काढ़ा, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। अब तक कुल 1.33 करोड़ ग्रामीणों को दवाइयों का वितरण किया गया है।
- ग्राम पंचायतों के माध्यम से सोशल डिस्टेन्सिंग, साबुन से हाथ धुलाई, सेनेटाइजर का इस्तेमाल तथा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करवाया जा रहा है।
- उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान, दवाई की दुकान, हैंडपंप, सार्वजनिक नल, बैंक एवं अन्य सार्वजनिक स्थान आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूह से फेस मास्क, सेनेटाइजर बनवाये जाकर वितरित करवाये जा रहे हैं।

और लोगों के बीच दूरी बनाकर रखने के लिए एक–एक मीटर से अधिक की दूरी पर चूना या चॉक से गोल घेरे बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग से पहले हैंडपम्प के हैंडिल आदि को साबुन और पानी से धोएं इस बात की निगरानी करना और इसके लिए हैंडपम्प के पास साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अन्य राज्यों से लौटकर आये लोगों की व्यवस्था : अन्य राज्यों से गांव लौटने वाले सभी नागरिकों की पूर्ण जानकारी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करना तथा इनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करना। यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई है तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद तथा जिला नोडल अधिकारियों को देना। बाहर से आए व्यक्ति को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार क्वारेंटाइन के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी भवनों में व्यवस्था बनाना।

यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण दिखायी दें तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित करना और इन्हें भी 14 दिन तक अलग रहने की व्यवस्था बनाना। स्कूल, आंगनवाड़ी भवनों में अलग रखे गए लोगों के बिस्तर, बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था करना। अलग रखे गये व्यक्तियों के लिए शौचालय, साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन व पानी की व्यवस्था तथा परिसर की सफाई जरूरी है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना : इस दौरान गांव में आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, दाल, तेल मसाले, बीमार व्यक्तियों के लिए दवा आदि की उपलब्धता बनी रहे, इसकी लगातार निगरानी करना और व्यवस्था बनाना। गांव के भूमिहीन अति गरीब, मजदूरी पर आश्रित, महिला मुखिया, विकलांग परिवारों की सूची तैयार करना तथा उचित मूल्य की दुकान तथा सामुदायिक सहयोग से इन परिवारों को यह आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति तथा राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए इसके अतिरिक्त भी कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता व सुविधा के साथ खेती किसानी के कार्य को भी ध्यान में रखते हुए कुछ जिम्मेदारियां पंचायत को निभानी पड़ सकती हैं, जिसके बारे में अपनी सीमाओं में वे स्वयं तय कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में ''सामाजिक दूरी'' के दिशा–निर्देशों का पालन जरूरी है।

व्यक्तिगत स्वच्छता : व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक व्यवहार है इसके लिये कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है जैसे : जो कोई कर्मी भोजन बनाने, भण्डारण, वितरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्हें अपने हाथों को साबुन व पानी से कम से कम 20 (बीस) सेकेण्ड धोना है।

इन अवसरों पर आवश्यक रूप से हाथ धोना जरूरी है :

- खाद्य सामग्री बाहर से लाने के पश्चात।
- खाद्य सामग्री को छूने के पश्चात विशेषतः सब्जी आदि।
- खाना बनाने के पहले व खाने के दौरान।
- भोजन परोसने अथवा वितरण करने से पहले।
- भोजन पैक करने अथवा बची सामग्री को स्टोर में रखने के बाद।
- सुनिश्चित करें कि भोजन पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ हों।
- किचन तथा खाना बनाने के स्थान की सफाई प्रतिदिन हर बार भोजन बनाने के पहले की जाए।
- एक स्थान निर्धारित कर लें जहां ठोस अवशेष (Solid Waste) जैसे कि बची हुई बेकार सब्जियों का निस्तारण पशुओं को खाने के लिए अथवा उचित अपशिष्ट प्रबन्धन किया जा सके, इसी प्रकार अवशेष पानी को भी सोक पिट में बहाया जा सके।
- यह भी सुनिश्चित करें कि साबुन से हाथ धोने तथा कीटाणुशोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो।
- भोजन तैयार करते समय अपने सिर को ढंक कर रखें।

● **पंचायिका डेस्क**

प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी

लगभग 15 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की हुई घर वापसी

कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। निश्चित ही यह निर्णय राज्य सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। चुनौती इसलिए, क्योंकि इतने कम समय में अपने राज्य की जनता को संभालना और प्रवासी श्रमिकों की वापसी संबंधी तैयारियां करना सच में कठिन कार्य था। फिर भी सभी राज्य सरकारों ने अपनी सुविधानुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठाई और बहुत हद तक उसमें सफलता भी पाई।

बात करें देश की हृदय स्थली मध्यप्रदेश की तो निश्चित ही प्रदेश में इस स्थिति को व्यवस्थित करना आसान काम नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल के शुरू होते ही सबसे पहले कोरोना संक्रमण की रोकथाम और प्रवासी श्रमिकों की वापसी संबंधी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने पूरी कमान खुद संभाली और एक के बाद एक श्रमिकों और जनता के हितों में फैसले लेना शुरू किए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा ध्यान प्रवासी श्रमिकों पर था। वे श्रमिक अन्य राज्यों में अपना घर परिवार लिए रोजी-रोटी कमाने खाने का काम कर रहे थे। उन्होंने किसी भी श्रमिकों को किसी भी रूप में परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रशासन स्तर पर कई योजनाएं बनाईं। इसके तहत प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने की समुचित व्यवस्था की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद देश के सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चर्चा की और प्रवासी श्रमिकों की वापसी संबंधी मदद किए जाने का आग्रह किया।

हमने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोये, कोई पैदल न चले, बाहर के मजदूरों को बसों के माध्यम से प्रदेश की सीमा पर छोड़ा जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

कोरोना से निपटने के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक निकलकर अपने-अपने राज्यों में जा रहे हैं। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश के केन्द्र में होने के कारण विभिन्न राज्यों से उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड तथा अन्य कई प्रदेशों में जाने वाले श्रमिक मध्यप्रदेश से गुजर रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सीमा पर आने वाले इन प्रवासी श्रमिकों को वाहन, भोजन, दवाएं आदि निशुल्क उपलब्ध करवाई।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश से होकर दूसरे राज्यों को जाने वाले श्रमिकों को सीमा तक सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में सीमावर्ती जिलों में बसों की व्यवस्था की गई है व मार्गों में ट्रांजिट कैम्प बनाये गये हैं। केवल अन्य राज्यों के श्रमिकों को मध्यप्रदेश की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए एक हजार बसें लगाई गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की धरती पर कोई श्रमिक पैदल न चले। श्रमिकों के खाने का भी इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन में भी मध्यप्रदेश सरकार ने सत्कार और सेवा की मिसाल कायम की है। प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश से गुजरने के दौरान सरकार के साथ ही स्वयं सेवी संगठनों ने दिल खोलकर श्रमिकों की सेवा और सत्कार किया है। मध्यप्रदेश के राजमार्गों से गुजरने वाले श्रमिकों के खाने-पीने और अन्य तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों ने भी संभाला है। प्रदेश की सीमा में आकर अन्य प्रदेशों में जाने वाले सभी श्रमिकों के आवागमन और खान-पान की व्यवस्था की गई। विभिन्न प्रदेशों के लाखों श्रमिकों को उनके प्रदेशों की सीमा तक सरकार ने बसों से पहुंचाया।

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की वापसी के लिए ट्रेन, बस आदि की व्यवस्था की गई। अब तक लगभग 15 लाख से अधिक श्रमिक विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश पहुंच चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के विभिन्न सीमाओं से सटे हुए राज्यों के उन मजदूरों को उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाने संबंधी निर्णय लिया। जो प्रदेश से पैदल ही ट्रांजिट हो रहे थे। इस दौरान प्रदेश की सभी सीमाओं पर इन श्रमिकों के रहने, खाने सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी इंतजाम किए गए। और बसों के माध्यम से उन्हें उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों की वापसी

होने पर श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो इसके लिए क्वारेन्टाइन सेंटर तैयार करवाए गए जहां इनकी संपूर्ण जांच हो। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दी।

इस दौरान विभाग के अंतर्गत सभी जिला, जनपद व पंचायत सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव से मिले निर्देशानुसार हर एक ग्राम पंचायत को चिन्हित कर प्रवासी मजदूरों के लिए उचित व्यवस्थाएं कीं।

इन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई संकट न हो, इसके लिए सरकार ने कई अलग-अलग योजनाएं शुरू कीं जिससे श्रमिकों को उसका लाभ मिल सके।

प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान श्रमिकों को लेकर कितने संवेदनशील हैं इस बात का पता इससे साफतौर पर मालूम होता है कि उन्होंने खुद प्रवासी श्रमिकों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं को

दिन प्रतिदिन अपनी निगरानी में रखा और हर संभव निर्णय लिए जो उनके हित में थे।

प्रवासी श्रमिकों की

महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश होकर अपने गृह राज्य उत्तरप्रदेश जाने वाले प्रवासी श्रमिक राजकुमार, सैफ अंसारी, नियाज अहमद और सुरेश कुमार का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संकट की इस घड़ी में प्रवासी श्रमिकों के लिये सहृदयतापूर्वक जो व्यवस्थाएं करवाई हैं, उन सभी व्यवस्थाओं के लिये हम प्रवासी मजदूर उनका हृदय से आभार मानते हैं। प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि मध्यप्रदेश की सीमा में आते ही हमारी चिंता तब दूर हो गई, जब हमने देखा कि प्रदेश सरकार ने हम प्रवासी श्रमिकों के आने-जाने के लिये बसों की बेहतर व्यवस्था की है। इसके अलावा खाने-पीने, छाया एवं मेडिकल चेकअप आदि की भी अच्छी व्यवस्थाएं हमें मिलीं। इन व्यवस्थाओं से प्रवासी श्रमिकों के घर पहुँचने की राह आसान हो गई है। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे उत्तरप्रदेश निवासी यादव घर जाने के दौरान जब मध्यप्रदेश पहुँचे

घर वापसी

तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्था से खुश नजर आये। उन्होंने कहा कि अब हमारे घर पहुंचने की राह सुगम हो गई है। मंशाराम ने बताया कि वे मुम्बई में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहे थे, कार्य के दौरान उनकी आजीविका अच्छे से चल रही थी। इसी बीच कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया, काम धंधा भी ठप्प हो गया। वे बताते हैं कि उन्हें केवल दिन-रात एक ही चिंता सता रही थी कि वे सुरक्षित घर कैसे पहुंचेंगे। मंशाराम आगे बताते हैं कि मुम्बई से वे तथा अन्य श्रमिक जैसे-तैसे निकले। इसके बाद वे महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर पहुंचे, जहां से मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय व्यवस्था करते हुए देवास पहुंचाया। देवास जिले में जिला प्रशासन द्वारा उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। इसके पश्चात उन्हें भोजन, पानी तथा फल दिए गए। जिला प्रशासन द्वारा बस से नि:शुल्क उत्तरप्रदेश की सीमा पर पहुंचाया गया। सफर के दौरान रास्ते में उन्हें खाना, पेयजल, चाय, नाश्ता भी दिया गया।

अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या

क्र.	जिला	कुल लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या	क्र.	जिला	कुल लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या
1.	बालाघाट	104753	26.	डिण्डौरी	36295
2.	पन्ना	54660	27.	गुना	20510
3.	रीवा	65529	28.	मंदसौर	20508
4.	छतरपुर	76034	29.	जबलपुर	9756
5.	सतना	61565	30.	उमरिया	15951
6.	सिंगरौली	32243	31.	श्योपुर	15195
7.	अलीराजपुर	39844	32.	ग्वालियर	13389
8.	टीकमगढ़	83193	33.	बुरहानपुर	11811
9.	सीधी	29911	34.	खंडवा	37754
10.	दमोह	22939	35.	शिवपुरी	30010
11.	भिण्ड	40673	36.	रतलाम	13729
12.	दतिया	21595	37.	विदिशा	25353
13.	खरगौन	30310	38.	शाजापुर	8904
14.	धार	33751	39.	अनूपपुर	10911
15.	बड़वानी	29304	40.	आगर मालवा	7728
16.	मंडला	34835	41.	देवास	24786
17.	सिवनी	34926	42.	सीहोर	23494
18.	झाबुआ	86573	43.	भोपाल	2901
19.	बैतूल	41473	44.	रायसेन	19983
20.	सागर	55180	45.	अशोकनगर	6619
21.	कटनी	33412	46.	होशंगाबाद	2908
22.	शहडोल	35925	47.	नीमच	1165
23.	उज्जैन	17687	48.	नरसिंहपुर	3071
24.	छिंदवाड़ा	35801	49.	राजगढ़	10403
25.	मुरैना	22743	50.	हरदा	6248
			51.	इन्दौर	2940
				योग	**1507181**

अन्य प्रदेशों के श्रमिकों के लिये सरकार ने किया सराहनीय काम

- मध्यप्रदेश देश का अकेला राज्य है जिसने प्रदेश के श्रमिकों के साथ–साथ दूसरे राज्यों के श्रमिकों को भी परिवहन और भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था शुरू की है।
- कोरोना संकट के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों और अन्य प्रदेशों के श्रमिक जो मध्यप्रदेश से गुजर रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हजार से ज्यादा बसों को लगाया गया।
- राज्य की सीमाओं जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, सिवनी पर श्रमिकों के लिए बसें लगाई गईं।
- महाराष्ट्र से उत्तरप्रदेश एवं बिहार जाने वाले श्रमिक बड़ी बिजासन (सेंधवा) से प्रदेश की सीमा में करते हैं प्रवेश।
- प्रदेश की सभी सीमाओं के साथ–साथ सेंधवा और देवास ट्रांजिट सेंटर में भी श्रमिकों के लिए सभी उत्तम व्यवस्थाएं की गईं।
- श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के साथ ही उन्हें भोजन, पानी एवं मास्क नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया।

अन्य राज्यों के मजदूरों के लिये बसों और ट्रेनों का किया प्रबंध

प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए इंतजाम किये और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अन्य प्रदेशों के मजदूरों को भी बस और ट्रेनों के माध्यम से उनके राज्य में पहुँचाने का प्रबंध किया गया। इन मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र दिए गए और सभी के लिये भोजन की व्यवस्था भी की गई। प्रवासी श्रमिकों को लेकर मध्यप्रदेश से 3 विशेष ट्रेनें पश्चिम बंगाल गईं। श्रमिक यात्रियों http://mapit.gov.in/COVID-19/ पोर्टल पर उपलब्ध 'श्रमिक विशेष ट्रेन पंजीयन' विकल्प में जाकर श्रमिकों ने अपना एवं अपने सहयात्रियों का पंजीयन कर यात्रा का लाभ लिया है। उत्तरप्रदेश के महोबा और चन्दोली के 45 मजदूर बुरहानपुर में काम करते थे। लम्बे लॉकडाउन के कारण उन्होंने घर जाने का निर्णय लिया जिसमें सरकार द्वारा उनकी मदद की गई। मजदूर हबीब, दीनेन्द्र कुमार, महेन्द्र, रवि, शशि, और राजू ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने न केवल उन्हें उपयुक्त स्थान पर ठहराया, खाने–पीने की बेहतर व्यवस्थाएं कीं अपितु उन्हें बसों से प्रस्थान करवाकर उनका सफर आसान व सुगम बनाया है। महाराष्ट्र से अपने घर कोलकाता जा रहे श्री मनोज विश्वास ने कहा कि मध्यप्रदेश में जगह–जगह पर मिल रहे नि:शुल्क भोजन एवं पानी की व्यवस्था से वे खुश हैं।

मुम्बई से उत्तरप्रदेश अपने घर जा रहे श्री सुजीत कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने भोजन–पानी की बेहतर व्यवस्था की है। गुरुग्राम से ट्रेन द्वारा छतरपुर पहुँचे पन्ना निवासी श्री सुरेन्द्र ने कहा कि सरकार ने हमें घर तक पहुँचाने के लिऐ बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। वहीं हरियाणा से ट्रेन से आये श्री धीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि छतरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही मुझे भोजन–पानी देने के साथ ही मेरा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

● प्रवीण पाण्डेय

कोविड सूचनाओं

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से जब समूची दुनिया प्रभावित होने लगी तभी भारत में भी इस महामारी ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू किया। इससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इस महामारी को फैलने से बचाव का तत्समय यह एकमात्र विकल्प था। लॉकडाउन के दौरान जहां सारा तंत्र रुक गया था वहीं लॉकडाउन के पालन के साथ लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन आदि चुनौतिपूर्ण कार्य थे।

इस संकट के समय में पंचायत राज अमले ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। लोगों का सर्वे, स्वास्थ्य जांच, बीमारों का उपचार, उपचार के लिए साधन, लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाना, भोजन की व्यवस्था आदि जरूरतमंदों की आवश्यक जरूरतों की ग्राम स्तर तक व्यवस्था बनाने में पंचायती राज व्यवस्था के त्रि–स्तरीय अमले की केन्द्रीय भूमिका रही है।

गांव–गांव में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, सेम्पल लेना, जांच के लिए भेजना, संक्रमितों का इलाज, संभावना होने पर क्वारेंटाइन किया जाना। यह सभी कार्य

का आधार पंचायत राज की सांख्यिकी व्यवस्था

पंचायत राज अमले के बेहतर समन्वय से ही संभव हुआ है। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या थी मरीजों की वास्तविक स्थिति प्राप्त करना। मध्यप्रदेश के गांव–गांव में मरीजों की स्थिति, लोगों की परिस्थिति की जानकारी के आधार पर ही कोविड–19 से जंग की रणनीति बनाना संभव था। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पल–पल की जानकारी प्राप्त होना एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मार्गदर्शन में पंचायती राज अमले ने एक सांख्यिकी बेकबोन खड़ी की।

इसके तहत ग्राम स्तर पर सर्वे कर प्राथमिक जानकारी एकत्र की गयी। यह जानकारी ग्राम से जनपद और जनपद से जिले तक एकत्र की गयी। इन जानकारियों को हर जिले से पंचायत राज संचालनालय को भेजा गया। इस जानकारी से गांव में मरीजों की संख्या, प्रवासी मजदूरों की संख्या, उनके स्वास्थ्य, रहने, खाने, क्वारंटीन होने के आंकड़े, औषधियों के वितरण की जानकारी शामिल है।

पंचायत राज संचालनालय के राज्य कार्यालय की आईटी शाखा द्वारा आंकड़ों में प्राप्त इन जानकारियों को जिले वार विभाजित

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से जब समूची दुनिया प्रभावित होने लगी तभी भारत में भी इस महामारी ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू किया। इससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इस महामारी को फैलने से बचाव का तत्समय यह एकमात्र विकल्प था। लॉकडाउन के दौरान जहां सारा तंत्र रुक गया था वहीं लॉकडाउन के पालन के साथ लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन आदि चुनौतिपूर्ण कार्य थे।

किया गया। इन जानकारियों की स्टेस्टिकल एनालिसिस के द्वारा ग्राफ तथा चार्ट के माध्यम से प्रस्तुति बनायी गयी। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में दो तरह से कार्य किया गया। एक तो भारत सरकार और मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य तथा संबंधित विभागों के समय–समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 से बचाव और राहत के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये।

दूसरा राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी। जिस पर जिलों से प्राप्त जानकारी का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। कंट्रोल रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक पंचायत राज संचालनालय द्वारा सीधे मुख्यमंत्री जी के समक्ष जिलेवार जानकारी प्रस्तुत की गयी।

राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में विभिन्न जानकारियों में प्राप्त नागरिकों और प्रवासियों का पंजीयन किया जाता है।

इस सम्पूर्ण जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक सर्वे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और शासकीय अमले के साथ मिलकर सर्वे सेम्पलिंग, फॉलोअप और पॉजिटिव केस की जानकारी प्राप्त की जाती है। कोरोना वॉरियर्स सार्थक एप के माध्यम से घर–घर जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं। सेम्पल ले रहे हैं और फॉलोअप भी कर रहे हैं। केस पॉजिटिव होने की स्थिति में तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। संदिग्धों के लक्षणों की नियमित मॉनीटरिंग होती है। सामान्य या गंभीर लक्षणों की जानकारी सेम्पल कलेक्शन सूची में भेजी जाती है। जिला टीम द्वारा उस व्यक्ति का सेंपल लिया जाता है। इस तरह पंचायत राज अमले की ग्राम स्तर पर सेम्पल एकत्रीकरण से लेकर जनपद जिला होती हुई राज्य स्तर तक जानकारी पहुंचाई गई। इस सांख्यिकी जानकारी के आधार पर कोरोना की रोकथाम के लिये सुनियोजित रणनीति बनाई जाती है। पंचायत राज अमले का यह सांख्यिकी तंत्र जिलेवार कोरोना संक्रमितों की संख्या, स्वास्थ्य की स्थिति, जांच की स्थिति, स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या अनुसार भावी योजना बनाने का आधारभूत तंत्र साबित हो रहा है।

● पंचायिका डेस्क

मध्यप्रदेश में संचार का माध्यम

पंचायत राज व्यवस्था का सूचना तंत्र

कोविड–19 से लड़ने के लिये पंचायत राज व्यवस्था ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सुनियोजित सूचना तंत्र खड़ा किया। यह सूचना तंत्र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के समय में राज्य स्तर से मध्यप्रदेश के गांव–गांव से जानकारियों को तो एकत्र कर ही रहा था साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद भी किया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर सभी कार्यालय बन्द हो गए। ऐसे में कम्युनिकेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंचायत राज अमले द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के बहु–आयामों का उपयोग किया गया। सूचना प्रणाली के प्रबन्धन से पंचायत राज व्यवस्था द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्य किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना से जंग लड़ने के लिए गांव–गांव में लोगों को प्रेरित करने, शासकीय योजनाओं, कोरोना के लिये दिये जाने वाले विशेष लाभ को लोगों तक पहुंचाना, सर्वे करना, सेम्पलिंग करवाना, आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण, श्रमिकों के आने–जाने, रहने–खाने की व्यवस्था करवाना, अस्वस्थ होने पर कोरोना जांच करवाना, क्वारंटीन करने की व्यवस्था करना और लॉकडाउन नियमों का पालन करवाना यह सभी कार्य प्रदेश के गांवों में पंचायत राज अमले के समन्वय से ही किये जा रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के समय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सरपंच से बात करने, लोगों का हाल जानने की मंशा व्यक्त की। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देश पर संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद द्वारा प्रदेश स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समूची व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष उपलब्ध है। इन कक्षों में जिलेवार पंचायत प्रतिनिधियों को दायित्व सौंपा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राम प्रधानों तथा श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तकनीकी संयोजन एनआईसी द्वारा किया गया। 22 मई 2020 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों और मजदूरों से सीधे बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोगों से पांच महीने दिये जाने वाले राशन पहुंचने की जानकारी प्राप्त की, श्रमिकों को जॉब कार्ड वितरित किये। संबल योजना से लोगों को जुड़ने के लिए कहा। बाहर से आये मजदूरों की समस्या को लेकर विस्तृत चर्चा की। लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधे पूछा, लोगों को मास्क प्राप्त हो रहे हैं या नहीं इसका विवरण जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेंटाइन किये जाने की व्यवस्था पर सभी पक्षों से बातचीत की।

एक समय में प्रदेश की सभी पंचायतों से जुड़ना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी स्थिति को सीधे उनसे जानना इन सबसे जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री को संतोष मिला वहीं सुदूर अंचल में गांव में बैठे श्रमिक को संबल मिला।

गूगल शीट पर सूचनाओं का एकत्रीकरण और कम्प्यूटर के माध्यम से विश्लेषण

पंचायत राज संचालनालय द्वारा गूगल शीट बनाकर अपलोड की गयी। इस शीट की जानकारी को पंचायती राज अमले द्वारा अपलोड किया जाता है। इन जानकारियों में, ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों की संख्या, गांव में आये व्यक्तियों में अस्वस्थता के प्रारंभिक लक्षण, गांवों में कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, कितने लोगों को घर पर क्वारेंटाइन किया गया

और कितनों को संस्थागत क्वारेंटाइन किया गया, कितने लोगों के सेंपल टेस्ट के लिये भेजे गए, कितने लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कितनों की चार दिन बाद प्राप्त हुई, कितने लोग रिपोर्ट में पॉजिटिव पाये गये, कितने पॉजिटिव लोग आइसोलेट किये गये। कितने लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, कितने ग्रामीणों को भोजन करवाया गया। गांव में राशन की समस्या वाले परिवारों की संख्या, भोजन प्रदाय करने वाले स्थानों की संख्या, व्यक्तियों को पृथक रखने हेतु बनाये गये कैम्प की संख्या, स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प के स्थान, निर्धारित दिवस के पश्चात भी स्वस्थ रहने पर क्वारेंटाइन से बाहर आए व्यक्तियों की संख्या की जानकारी शामिल है। इसके अलावा आयुष विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली औषधियों में होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक काढ़ा की जानकारी भी एक्सेल सीट पर अपलोड की गयी। एक्सेल शीट पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर प्रदेश में जिलेवार कोविड की स्थिति, प्रवासी मजदूरों की स्थिति और स्वास्थ्य की हर दिन, हर घंटे की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस जानकारी के आधार पर कंट्रोल रूम में एनालिसिस कर मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर आगे की आयोजना बनाई जाती है।

सोशल मीडिया का उपयोग

पंचायत राज अमले द्वारा सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया गया है। जिसमें कहीं भी किसी भी गांव में होने वाली समस्या अपलोड कर दी जाती है। इस ग्रुप में पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक का अमला जुड़ा हुआ है। अत: जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल निर्णय लेकर समस्या का समाधान किया जा रहा है। ई–मेल के माध्यम से निर्देश और जानकारियों का आदान–प्रदान किया जा रहा है। पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टियां कर तुरन्त जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही समस्या के हल की तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

● पंचायिका डेस्क

प्रवासी श्रमिकों की जानकारी

जिले का नाम	जिले में आने वाले श्रमिक (ग्रामीण क्षेत्र) संख्या	ग्रामों में आये कितने व्यक्तियों में अस्वस्थता के प्रारंभिक लक्षण दिखे	कितनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ	A- कितने व्यक्ति उनके घरों में क्वारंटाइन किये गये	B-कितने व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन किये गये	योग (A+B) व्यक्ति
बालाघाट	104753	8604	104523	104476	1384	105860
झाबुआ	86573	9699	9699	8379	1217	9596
टीकमगढ़	83193	1645	1645	78696	4497	83193
छतरपुर	76034	1064	75458	72141	3893	76034
रीवा	65529	4502	64775	52284	3562	55846
सतना	61565	0	61373	59413	1960	61373
सागर	55180	0	54916	54891	288	55179
पन्ना	54660	73	54540	54865	17339	72204
बैतूल	41473	1051	41243	26605	14867	41472
भिण्ड	40673	1251	1311	40673	0	40673
अलीराजपुर	39844	535	39700	39844	0	39844
खंडवा	37754	696	37309	37465	277	37742
डिण्डोरी	36295	605	36134	28468	2169	30637
शहडोल	35925	284	35819	35947	0	35947
छिंदवाड़ा	35801	1992	35548	28134	7539	35673
सिवनी	34926	107	34724	34916	0	34916
मण्डला	34835	0	34619	34835	0	34835
धार	33751	22	33451	13540	690	14230
कटनी	33412	0	4379	33407	0	33407
सिंगरौली	32243	195	32171	31285	958	32243
खरगौन	30310	0	30094	16941	13153	30094
शिवपुरी	30010	110	20246	30010	0	30010
सीधी	29911	1999	29791	26710	3201	29911
बड़वानी	29304	0	13732	27136	2168	29304
विदिशा	25353	202	25233	25175	89	25264
देवास	24786	1048	1128	24636	150	24786
सीहोर	23494	344	23374	23142	252	23494
दमोह	22939	0	22314	19474	2858	22332
मुरैना	22743	342	22660	24447	0	24447
दतिया	21595	85	17095	21519	76	21595
गुना	20510	146	20395	18261	2249	20510
मंदसौर	20508	0	20325	20325	123	20448
रायसेन	19983	41	19812	19667	313	19980
उज्जैन	17687	56	17543	16007	1680	17687
उमरिया	15951	0	16040	13445	1814	15259
श्योपुर	15195	16	15508	15688	525	16213
रतलाम	13729	50	12466	13559	191	13750
ग्वालियर	13389	0	13320	12325	1009	13334
बुरहानपुर	11811	0	11765	8750	3093	11843
अनूपपुर	10911	0	10819	9054	1857	10911
राजगढ़	10403	70	10259	10403	0	10403
जबलपुर	9756	16	9595	7934	1822	9756
शाजापुर	8904	32	7576	7098	836	7934
आगर मालवा	7728	110	7632	5497	2231	7728
अशोकनगर	6619	1090	1115	6504	115	6619
हरदा	6248	16	6179	6209	30	6239
नरसिंहपुर	3071	4	1460	624	395	1019
इन्दौर	2940	35	2848	468	28	496
होशंगाबाद	2908	7	2729	2472	186	2658
भोपाल	2901	15	1407	2652	343	2995
नीमच	1135	0	1141	464	57	521
कुल योग	**1507181**	**38159**	**1208938**	**1306860**	**101584**	**1408444**

प्रवासी मजदूरों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण

देश में जब से कोरोना संक्रमण के समाचार आने लगे थे तभी से मध्यप्रदेश की दूरदर्शी सरकार ने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि अब इन श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी चालू हो जायेगी जो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, संकट के समय हर व्यक्ति के मन में घर की याद आती है और उसका यह सोचना स्वाभाविक है कि हमें अपने घर चले जाना चाहिये।

इस मोर्चे पर सरकार के सामने दोहरी समस्या थी। पहली समस्या थी इन मजदूरों को उनके घर सकुशल पहुंचाना और दूसरी समस्या थी प्रदेश की सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण करके यह सुनिश्चित करना कि कोरोना का संक्रमण अन्य स्थानों पर न फैले। चूंकि यह मजदूर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्थानों से आ रहे थे जहां कोरोना का संक्रमण था। अतः यह बहुत कुछ संभव था कि इनमें से कुछ लोग संक्रमित हों और उनकी निर्बाध आवाजाही से यह संक्रमण प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में भी फैल जाये। जहां तक मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाने का सवाल था, उसके लिये तो सीमा पर भी उनके लिये बसों, खाने–पीने आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई थी। किन्तु दूसरी समस्या इससे कहीं अधिक बड़ी थी, क्योंकि बहुसंख्यक मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें संक्रमण रहित, स्वस्थ कर उनके घर भेजना सुनिश्चित करना था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमें हर मरीज को स्वस्थ कर उसके घर भिजवाना है। कोरोना अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पूरी तत्परता और सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज किया जाए।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमें हर मरीज को स्वस्थ कर उसके घर भिजवाना है। कोरोना अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पूरी तत्परता और सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज किया जाए।

चूंकि सरकार ने इस महती समस्या का पूर्वानुमान पहले से लगाकर अग्रिम मूलाधार स्वास्थ्य संरचना खड़ी कर दी थी। अतः इस समस्या से निपटने में काफी कुछ सफलता मिली है। स्वास्थ्य परीक्षण सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी तथा दवाइयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था सीमा पर भी पहले से कर दी गई थी। इस व्यवस्था को ग्रासरूट लेवल तक इस प्रकार संचालित किया गया था कि किसी भी स्तर पर कहीं कोई चूक न हो। इस स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था का क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया था।

प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण

पंचायती राज अमला प्रदेश भर में हर दिन गहन, व्यापक और विस्तृत सर्वेक्षण और मॉनीटरिंग के द्वारा कितने मजदूर, किस जिले में कौन–कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाने वाले हैं यह जानकारी एकत्र करता है। इसमें उन मजदूरों की जानकारी भी शामिल है जो प्रदेश से सटे अन्य प्रदेशों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर–प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि से आये थे।

स्वास्थ्य परीक्षण का क्रम

अब इन मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था के क्रम को भी समझने का प्रयास करें, प्रवासी मजदूर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां भी पहुंचते हैं। वहां जिले की सीमा पर भी ऐसे नाके और चौकियां पर्याप्त स्टाफ के साथ गठित कर दी गई हैं जो किसी भी म जदूर को स्वास्थ्य परीक्षण के बिना मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश न करने दें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत दी है कि विभिन्न प्रदेशों से मध्यप्रदेश लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की सीमा पर हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। इस सघन चैकिंग

के लिये प्रवेश–स्थल पर भी पर्याप्त चैकिंग कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। जिनमें पुलिस, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा डॉक्टर, नर्स आदि स्वास्थ्यकर्ता भी शामिल थे। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल के लिये पंचायत कर्मी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आदि मुस्तैद थे।

यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि पाये जाते थे, थर्मल टेस्टिंग के बाद उसके सेम्पल अस्पतालों में भेज दिये जाते थे। इसके लिये बड़े शहरों के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहले से चिन्हित, निर्धारित और सुसज्जित कर दिये गये थे।

ग्राम पंचायत स्तर तक पर स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियो–रिकॉर्डिंग कराने के निर्देश दे दिये गये थे ताकि एक ओर चूक की संभावना न रहे और दूसरी ओर रिकॉर्ड भी रहे। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसके स्वास्थ्य परीक्षण के साथ–साथ उसे क्वारेंटाइन (अलग रखने) करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई।

स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर प्रदेश ने सजग कदम उठाये हैं। 21 मई को मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 1391 फीवर क्लीनिक ने कार्य करना शुरू कर दिया है। फीवर क्लीनिक में जांच के बाद लक्षण पाये जाने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है और कोरोना टेस्ट के लिए सैम्पल लिये जाते हैं।

कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर्स और अस्पतालों में भिजवाया जाता है। इन फीवर क्लीनिक के माध्यम से जनता के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार आसान होगा। ये फीवर क्लीनिक शीघ्र ही हर मोहल्ले, हर वार्ड में प्रारंभ की जायेगी। जहां कोई भी व्यक्ति जाकर कोरोना संबंधी टेस्ट करवा सकेगा।

प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण

जिले का नाम	कितने व्यक्तियों के सेम्पल लिये भेजे गये हैं	कितने व्यक्तियों की सैम्पल जांच रिपोर्ट प्राप्त	कितने व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट 4 दिन पश्चात भी अप्राप्त है	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजीटिव आयी		
				C-श्रमिक	D-अन्य ग्रामीण	योग (C+D)
बालाघाट	1054	629	317	20	0	20
झाबुआ	751	739	0	1	3	4
टीकमगढ़	1242	1062	0	5	5	10
छतरपुर	966	872	0	43	1	44
रीवा	40	36	0	26	1	27
सतना	0	0	0	18	0	18
सागर	280	280	0	20	23	43
पन्ना	499	496	0	10	9	19
बैतूल	1497	1270	480	44	2	46
भिण्ड	37	37	0	50	0	50
अलीराजपुर	516	543	219	0	2	2
खण्डवा	20	20	0	0	15	15
डिण्डौरी	2528	2476	0	29	1	30
शहडोल	212	212	0	8	0	8
छिंदवाड़ा	1700	1586	0	34	9	43
सिवनी	604	566	0	3	7	10
मण्डला	721	754	0	6	0	6
धार	48	10	0	1	26	27
कटनी	18	18	0	0	5	5
सिंगरौली	1730	1718	7	12	1	13
खरगौन	401	403	0	9	49	58
शिवपुरी	817	742	0	4	4	8
सीधी	3337	2930	0	17	0	17
बड़वानी	0	1	0	2	6	8
विदिशा	226	133	63	10	9	19
देवास	1359	1225	0	0	49	49
सीहोर	608	604	0	1	2	3
दमोह	588	588	0	25	0	25
मुरैना	442	442	0	32	27	59
दतिया	85	73	5	9	0	9
गुना	807	826	2	0	3	3
मंदसौर	1683	1629	224	0	8	8
रायसेन	643	608	57	1	42	43
उज्जैन	4	4	0	0	3	3
उमरिया	85	47	10	4	6	10
श्योपुर	1567	1499	0	1	22	23
रतलाम	50	50	0	0	1	1
ग्वालियर	1979	1661	0	36	8	44
बुरहानपुर	0	0	0	0	50	50
अनूपपुर	586	484	0	120	7	27
राजगढ़	1520	1340	0	0	3	3
जबलपुर	943	899	0	6	24	30
शाजापुर	259	227	21	0	8	8
आगर मालवा	110	110	0	1	0	1
अशोकनगर	2131	2051	0	15	0	15
हरदा	36	36	0	0	3	3
नरसिंहपुर	1724	1724	0	10	4	14
इंदौर	0	0	0	0	131	131
होशंगाबाद	6	6	0	0	0	0
भोपाल	120	116	0	0	11	11
नीमच	2309	2307	0	0	52	52
कुल योग	**38888**	**36089**	**1405**	**533**	**642**	**1175**

संक्रमित मजदूरों के क्वारेंटाइन की व्यवस्था

सब जानते हैं कि कोरोना की समस्या दुनियाभर में है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक खतरनाक वायरस से फैलता है। यदि इसे प्रारंभिक अवस्था में ही न रोका जाये तो यह महामारी का रूप ले सकता है।

अमेरिका और यूरोप के उन देशों में जो हमसे अधिक अगड़े हैं, इस संक्रमण को प्रारंभिक स्तर पर ही न रोक पाने के कारण लाखों लोगों की जानें गई हैं। हालांकि मेडिकल साइंस दुनिया भर में अनेक प्रकार के दावे करता रहता है, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि इस महामारी की कोई निर्णायक, प्रामाणिक रामबाण औषधि अभी तक तो प्रकाश में नहीं आई है।

हमने देश और प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर ही दो तरीके अपनाये हैं। एक तो सघन स्वास्थ्य परीक्षण और दूसरा संक्रमित व्यक्ति को पृथक रखना (क्वारेंटाइन) ताकि वह अन्य लोगों के सम्पर्क में आकर इस भयानक रोग का प्रसार न कर सके। इसके नतीजतन एक ओर तो संक्रमण का प्रसार रुका है और दूसरी ओर सामयिक एवं पर्याप्त रोग–निदान तथा क्वारेंटाइन के कारण इस रोग से लड़कर स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 61 प्रतिशत को पार कर गई है। जो अन्य सभी प्रान्तों से बहुत अधिक है।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग–थलग रखने को ही उसे क्वारेंटाइन करना कहते हैं। यह शब्द कुछ सदियों पहले यूरोप के देशों से निकला था जहां छूत की बीमारियों से ग्रस्त उन लोगों को अलग–थलग रखा गया था जो अन्य देशों से समुद्री यात्रा करके आये थे, इस शब्द को लेकर आज भी कहीं–कहीं भ्रम और गलतफहमी की स्थिति है। कुछ लोग समझते हैं कि क्वारेंटाइन करने का मतलब एक प्रकार के जेलखाने में रखना है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में स्थान–स्थान पर स्कूल, पंचायत भवन, मनोरंजन गृह, सामुदायिक भवन आदि सार्वजनिक भवन उपलब्ध हैं जो अस्पतालों के अलावा हैं।

क्वारेंटाइन का प्रबन्ध

प्रवेश–स्थल पर ही स्वास्थ्य परीक्षण करके रोग–निदान कर लेना पर्याप्त नहीं है। आगे की कार्यवाही बहुत आवश्यक है ताकि संक्रमित व्यक्ति की आवाजाही को एकदम रोक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि वह व्यक्ति किसी और संक्रमित के सम्पर्क में तो नहीं आया है। इसे पक्का करने के लिए ऐसे संक्रमित व्यक्ति को क्वारेंटाइन में रखना जरूरी है ताकि वह किसी से न मिलजुल सके और उससे भी कोई मिलजुल न सके। इसमें रोगी को एकदम अलग रखना बहुत जरूरी है। वह जहां रहता है और जिन वस्तुओं के सम्पर्क में आता है, उन सबको रोगाणुरहित करने के लिये आवश्यक दवाइयों का छिड़काव, बारंबार हाथ साबुन से धोना, मास्क लगाना आदि बहुत जरूरी है।

कोई जेल नहीं है क्वारेंटाइन

कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग–थलग रखने को ही उसे क्वारेंटाइन करना कहते हैं। यह शब्द कुछ सदियों पहले यूरोप के देशों से निकला था जहां छूत की बीमारियों से ग्रस्त उन लोगों को अलग–थलग रखा गया था जो अन्य देशों से समुद्री यात्रा करके आये थे, इस शब्द को लेकर आज भी कहीं–कहीं भ्रम और गलतफहमी की स्थिति है।

कुछ लोग समझते हैं कि क्वारेंटाइन करने का मतलब एक प्रकार के जेलखाने में रखना है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में स्थान–स्थान पर स्कूल, पंचायत भवन, मनोरंजन गृह, सामुदायिक भवन आदि सार्वजनिक भवन उपलब्ध हैं जो अस्पतालों के अलावा हैं।

मेडिकल चैकअप के बाद जिस व्यक्ति की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है यानी जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर पहले अस्पताल

में फिर शिविरों में भेजा जाता है जहां खाने–पीने, रहने–सोने और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाती है। केवल इतना सुनिश्चित किया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्पर्क में न आवे और सम्पर्क के हर स्तर पर उसे रोगाणुरहित किया जाये जिसके लिये दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

सर्वसुविधा सम्पन्न सार्वजनिक क्वारेंटाइन स्थलों के अलावा रोगियों को घरों में भी क्वारेंटाइन किया जा सकता है, बशर्ते कि वहां संक्रमण प्रसार विषयक सभी शर्तों का अनुशासन से पालन किया जावे। ऐसे सभी रोगी एक सप्ताह से चौदह दिन की अवधि में स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण करने और सुविधायुक्त क्वारेंटाइन में नियुक्त कर्मियों को हम कोरोना के सिपाही कहकर आदर से संबोधित करते हैं। स्वस्थ होकर लौटे व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया जाता है।

कोरोना संक्रमण की जांच और लक्षण पाये जाने पर क्वारेंटाइन करने की व्यवस्था में राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार पंचायत राज अमले के साथ स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, वे घर–घर जाकर कोरोना टेस्ट करते हैं।

ग्रामीणों को दो गज की दूरी, मास्क सहित सेनेटाइजर आदि के उपयोग की जानकारी भी देते हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर जिला अस्पताल तक पहुंचाने का प्रबंध भी करते हैं। क्वारेंटाइन होने की स्थिति में उनके रहने, खाने सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी उपाय भी करते हैं।

इनके द्वारा मध्यप्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक के, हर गांव में कोरोना टेस्टिंग और सैंपल संग्रहित करने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य अमले के इस काम में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है।

● **घनश्याम सक्सेना**

प्रवासी श्रमिकों की राहत व्यवस्था

जिले का नाम	कितने पॉजीटिव व्यक्ति आइसोलेट किये गये	कितनों को की आवश्यकता थी	कितने ग्रामीणों को भोजन करवाया	ग्रामों में राशन की समस्या वाले परिवारों की संख्या	ग्रामों में राशन वितरित किये गये परिवारों की संख्या
बालाघाट	20	145226	146391	8862	8862
झाबुआ	4	74562	74562	3747	3747
टीकमगढ़	10	103408	103408	2349	2349
छतरपुर	44	11128	11128	0	0
रीवा	27	19219	19219	4747	4747
सतना	18	4492	4492	3796	3796
सागर	43	435429	435429	12631	12631
पन्ना	19	5088	5088	0	0
बैतूल	46	133656	134105	4724	6085
भिण्ड	50	18315	18315	0	0
अलीराजपुर	2	145155	145155	9065	9065
खण्डवा	15	7834	7834	3229	3229
डिण्डौरी	26	50524	50524	11099	11099
शहडोल	8	8500	8549	6801	6801
छिंदवाड़ा	43	6918	7396	1282	1282
सिवनी	8	26345	26345	8508	8508
मण्डला	4	18417	18417	11228	11228
धार	27	52783	52783	7563	7563
कटनी	5	1780	1780	33305	33305
सिंगरौली	13	11046	11046	10236	10236
खरगौन	36	1066	1066	1827	1827
शिवपुरी	8	5873	5873	10955	10955
सीधी	17	5211	5211	2104	2104
बड़वानी	8	54573	54573	0	0
विदिशा	19	18379	18379	7242	7242
देवास	49	16856	16856	5466	5466
सीहोर	3	32223	32223	3575	3575
दमोह	25	128001	128001	18620	18620
मुरैना	59	13790	13790	0	0
दतिया	9	7635	7635	0	0
गुना	3	18527	18527	565	565
मंदसौर	8	57652	57652	5225	5225
रायसेन	43	3851	3851	587	599
उज्जैन	3	3368	3368	1511	1511
उमरिया	10	41095	41095	0	0
श्योपुर	23	14637	14637	1300	1302
रतलाम	0	328755	328755	3435	3435
ग्वालियर	44	12699	12699	6	6
बुरहानपुर	50	3611	3611	3002	3002
अनूपपुर	27	8907	8907	9654	9654
राजगढ़	3	20899	21199	2661	2661
जबलपुर	25	15663	15663	2061	2179
शाजापुर	8	21301	21301	136	161
आगर मालवा	1	3198	3198	1299	1299
अशोकनगर	15	12786	12786	626	626
हरदा	3	16041	16041	304	304
नरसिंहपुर	9	18699	18699	8801	8801
इन्दौर	116	2875	2875	28618	28618
होशंगाबाद	0	958	958	7243	7243
भोपाल	11	2918	2918	483	483
नीमच	51	6596	6596	885	885
टोटल	**1118**	**2178468**	**2180909**	**271363**	**272881**

मध्यप्रदेश में प्रवासी मजदूरों की भोजन व्यवस्था
सत्कार और सेवा की मिसाल

कोरोना संक्रमण के चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हुआ। इस लॉकडाउन में कई मजदूर, कामगार, जरूरतमंदों के सामने जीवन जीने की कड़ी चुनौती थी। मजदूरों के लिए जीवन जीना मुश्किल था। परन्तु देश के नागरिकों में कोरोना संक्रमण के फैलने और इसकी चपेट में आने से बचाव के लिए यह फैसला आवश्यक था।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी समस्या उभरकर आयी। वह थी भोजन की समस्या। लॉकडाउन में सारा जीवन जहाँ था वहीं थमा हुआ था। लोगों के पास काम–काज था नहीं। रोज हाथ से कमाकर खाने वालों के लिये यह एक बड़ा संकट था। आखिर वे करें तो क्या करें। इसी बीच प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। भोजन जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता है। जिसे हर हाल में पूरा किया जाना था। ऐसे संकटकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोयेगा। ऐसे में प्रदेश के हर गरीब मजदूर, जरूरतमंद के भोजन की व्यवस्था का जिम्मा लिया पंचायत राज व्यवस्था ने। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में पंचायत राज अमला सजग हुआ। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही आजीविका मिशन के स्व–सहायता समूह की महिलाओं को भोजन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। पंचायतों को पंचायत राज संचालनालय के संचालक द्वारा निर्देश दिये गये कि 14वें वित्त में से 25 प्रतिशत राशि पंचायत कोविड–19 से

तीन क्वारेंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी

जिला : दमोह, ग्राम : हटा, संस्था : महारानी लक्ष्मीबाई बचत एवं शाख समूह

इस संस्था के संयोजक हीरा लाल रैकवार ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत से मिले आदेश के बाद मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भोजन के पैकेट बांटने का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान उन्होंने लगभग चार हजार जरूरतमंद लोगों तक यह खाद्य सामग्री पहुंचाई। इतना ही नहीं कुछ दिन बाद उन्हें अपने ही ग्राम में बने क्वारेंटाइन सेंटर जहां अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है उसकी जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने और उनकी टीम के लोगों ने बखूबी निभाया और हर दिन क्वारेंटाइन में रह रहे लगभग 70 श्रमिकों को नाश्ते से लेकर दिन का भोजन और शाम की चाय सहित रात्रि के भोजन की व्यवस्था बखूबी संभाल रहे हैं। हीरा लाल कहते हैं कि वो रोज सुबह नाश्ते के रूप में श्रमिकों को पोहा, हलवा, अंकुरित चने, फ्राइड चने के अलावा चाय और बिस्कुट के पैकेट उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने में दाल, चावल, रोटी, पापड़, सलाद, दही, दूध जैसे व्यंजनों का प्रबंध करते हैं। इसके बाद यही क्रम शाम की चाय और रात्रि के भोजन में जारी रहता है। उनकी इस टीम में कुल 21 लोग काम करते हैं। जिसमें 11 महिलाओं सहित 9 पुरुष सहित 1 सुपरवाइजर शामिल हैं। हीरा लाल कहते हैं कि इतनी संख्या में रोटी और सब्जी काटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। वहीं, कच्चा राशन जिला पंचायत सीईओ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उपजी समस्याओं के निराकरण में खर्च करें। ऐसे में हर पंचायत लगभग 30 हजार तक खर्च कर सकती है। स्व–सहायता समूह और पंचायती राज अमले की व्यवस्था में जुटे लोगों ने जान की परवाह किये बगैर भूखों को भोजन करवाने का प्रबंध किया। एक तरफ पका भोजन दिया गया। दूसरा लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा राशन की दुकान से दिये जाने वाले राशन को पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। जैसे–जैसे समय बीतता गया, लोगों के अंदर की मानवता जागी और धीरे–धीरे लोग इन जरूरतमंदों की तरफ हाथ बढ़ाते गए।

ग्राम पंचायत ने राजस्थान के जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया नि:शुल्क राशन

सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम भाउखेड़ी में राजस्थान के पाली जिले के कुछ गड़रिये अपनी भेड़ों एवं ऊंटों के साथ ग्राम लसड़ियाराम और आमाझिर के पास डेरा डाले हुए थे। लॉकडाउन के कारण उनकी यात्रा पर रोक लग गयी। ऐसे समय में जब उनको गाँव में अनाज मिलने में दिक्कत होने लगी, तब ग्राम पंचायत ने उन्हें नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया। ग्राम पंचायत जामोनिया हटेसिंह के पंचायत पदाधिकारियों को जब पता चला कि गड़रियों के पास अनाज नहीं है और वो परेशान हैं, तो पदाधिकारियों ने इनकी मदद की। गड़रिया परिवार को जिले के ग्राम भाउखेड़ी की उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क राशन दिया गया। राशन मिलने के बाद गड़रिये ऊँट पर पोटलियां बांध कर अपने डेरे के तरफ रवाना हो गये। संकट के समय मिली मदद के लिये गड़रिया परिवार ने पंचायत पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त किया।

जनसहयोग से पहुंचा रहे भोजन

जिला : शाजापुर, संस्था : पं. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

इस संस्था के संयोजक प्रभु सिंह राजपूत कहते हैं कि 25 मार्च से वो लगातार उनके सहयोगी साथियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जरूरतमंद मजदूरों और लोगों तक कच्चा राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग 4500 लोगों तक यह कच्चा राशन पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्य में उनके साथ नगर निगम सहयोगी रहा जिसकी मदद से वो और उनकी टीम के लोग फूड पैकेट बांटने में सफल हो पाए। प्रभु सिंह कहते हैं कि उनकी टीम में कुल 72 लोग काम कर रहे हैं। जो खुद भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। एक स्थान पर अधिक भीड़ न हो और दो गज की दूरी का फॉर्मूला बना रहे इसके लिए वो हर दिन लगभग 15 से 20 लोगों को काम पर बुलाते हैं और बाकी लोग बाहर से जिम्मेदारियां संभालते हैं। इसके बाद सहयोगियों के बदलाव का यह क्रम लगातार जारी रहता है। इस दौरान हर सहयोगी मास्क, हाथ सेनेटाइज करने के बाद और सिर पर कैप लगाने के बाद ही रसोई में पहुंचता है उसके बाद काम शुरू होता है। इस दौरान हमारे इस कार्य में हमने जनसहयोग भी मांगा जिसमें हमें 200 क्विंटल गेहूं और 500 क्विंटल सब्जी प्राप्त हुई। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम क्वारेंटीन में रह रहे लगभग तीन हजार श्रमिकों को लगातार पूड़ी खिला रहे थे। क्योंकि इतनी संख्या में रोटी बनाना मुश्किल था। इसके लिए हमने शाजापुर जिले के लोगों से ही मदद मांगी और लोगों ने हमें 3.50 लाख रुपये की रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध कराई। यह मशीन एक बार में 1100 रोटियां बनाती है। उसके बाद से हम 34 महिलाओं के सहयोग से रसोई को बेहतर ढंग से संचालित कर पा रहे हैं हर दिन श्रमिकों को भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

पंचायत राज अमले के साथ भोजन व्यवस्था में सामाजिक सेवा संस्थान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी जुड़ गये। अपनी इच्छा से ये सभी कोरोना संक्रमित मरीजों, गांव के जरूरतमंदों और अन्य राज्यों से वापस लौट रहे श्रमिकों की सेवा में जुटे हुए हैं। बिना किसी लालसा के हजारों लोगों को दिन–रात खाना खिलाने और जरूरतमंदों को कच्चा राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के राजमार्गों से गुजरने वाले श्रमिकों के खाने–पीने और अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा, शासकीय अमले के साथ–साथ स्वयं सेवी संगठनों ने भी सम्हाला। प्रदेश की सीमा में आकर अन्य प्रदेशों में जाने वाले सभी श्रमिकों के खान–पान की व्यवस्था की गई। हर भूखे को भोजन पहुंचाने का यह कार्य जिला प्रशासन और पंचायत राज व्यवस्था के ताल–मेल से

हाईवे के मजदूरों की मदद

जिला : राजगढ़, क्षेत्र : पचौर, संस्था : सेवा संगठन

संस्था के संयोजक मोहन गुप्ता ने बताया कि मैं और मेरी संस्था के सहयोगी सदस्य साथ मिलकर विगत 15 दिनों से हाईवे पर जा रहे मजदूरों की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हम इन मज़दूरों को भोजन और उनके बच्चों को दूध, बिस्किट जैसे खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे हैं। वहीं, आगे के सफर के लिए उन्हें 250 ग्राम का सत्तू का पैकेट भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा संस्था के कुछ सदस्य पिछले लगभग 53 दिनों से लगातार भोजन पैकेट वितरण करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग क्वारेंटीन सेंटर में भोजन पहुंचा रहे हैं, तो कुछ घरों में बंद भूखे और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोहन गुप्ता ने बताया कि वो और उनकी टीम के सदस्य अब तक लगभग 2 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं।

संभव हुआ है। प्रदेश में अब तक जिलों में लगभग 2178468 लोगों को भोजन की आवश्यकता थी। इसमें से 2180909 लोगों को भोजन करवाया गया। गांवों में राशन की समस्या वाले लगभग 271363 परिवार ऐसे थे जिन्हें राशन की समस्या थी उनके राशन का इंतजाम किया गया। प्रदेश भर में जरूरतमंदों को कच्चा राशन देने, भोजन देने का उमक्रम तो चल ही रहा है। साथ में बाहर के प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था भी की गयी है। प्रदेश में राज्य की सीमाओं पर ट्रांजिट प्वाइंट बनाए हैं। इन ट्रांजिट प्वाइंट पर श्रमिकों के चाय, पानी और भोजन की व्यवस्था की गयी। इस तरह प्रदेश के अन्दर और प्रदेश की सीमा से लगे प्रदेशों के हर श्रमिक के भोजन की व्यवस्था करना चुनौतिपूर्ण होने के साथ संतोष देता है। पुण्य कार्य की यह समुचित व्यवस्था और समर्पित कार्य व्यवहार ने मुख्यमंत्री के उस संकल्प को भी पूर्ण किया है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा।

● प्रवीण पाण्डेय

राशन के पैकेट कर रहे वितरित

जिला : बैतूल, क्षेत्र : सारणी, संस्था : संकल्प सेवा समिति

इस संस्था के संयोजक योगेश बर्डे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वो और उनके संस्था के सहयोगी साथियों ने मिलकर प्रतिदिन लगभग 70 से 80 लोगों तक राशन पहुंचाने का कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने पिछले 18 दिनों में लगभग 1800 लोगों तक राशन पहुंचाया है। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए लोगों से दो गज की दूरी बनी रहे और बार–बार सामान को छूना न पड़े, इसके लिए उन्होंने आटा, चावल, तेल, नमक, आलू और प्याज के पैकेट बनाकर एक थैला तैयार किया। इसमें दो किलो आटा, एक किलो चावल, आधा किलो तेल, एक पैकेट नमक और आधा–आधा किलो आलू और प्याज जरूरतमंत लोगों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं ग्रामीण इलाकों में लौटे प्रवासी मजदूरों को जिन्हें क्वारेंटीन किया गया है उन्हें भी आवश्यकता पड़ने पर भोजन वितरित किया गया।

जनपद पंचायत बिछिया, जिला मण्डला

मण्डला जिले के जनपद पंचायत बिछिया की सभी 71 ग्राम पंचायतों में संचार माध्यमों, सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप, मुनादी तथा अन्य संसाधनों के माध्यम से गांव–गांव में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करने, बहुत ही आवश्यक कार्य न हो तो घर से न निकलने के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया गया और लोगों को समझाइश दी गई। लॉकडाउन घोषित होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना राज्यों तथा मुम्बई, नागपुर, भोपाल आदि बड़े शहरों से मजदूर जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायतों में वापस लौटे। इन सभी मजदूरों और ग्रामीणों का सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उन्हें उनके निवास स्थान पर 14 दिनों के लिए क्वारेंटीन किया जाकर नियमित रूप से निगरानी की गई। ग्राम स्तर पर गठित निगरानी दल जिसमें सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता के द्वारा नियमित रूप से इन मजदूरों का सतत् निरीक्षण किया गया। आईसोलेट किए गए 1913 ग्रामीणों के घर पर निगरानी पत्रक चस्पा कर दैनिक प्रगति की रिपोर्ट दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण गरीब बेसहारा लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 713 परिवारों को 163 क्विंटल चावल, ग्राम पंचायतों के माध्यम से वितरित किया गया और अब आवश्यकतानुसार निरंतर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।

जनपद पंचायत शहपुरा

महामारी संकट में सजग प्रहरी बनीं पंचायतें

वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस महामारी से बचाव का यही एकमात्र उपाय था। इस निर्णय के साथ कई चुनौतियां भी थीं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें पंचायत राज व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस जिम्मेदारी को पंचायतों ने बखूबी निभाया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा ने बताया कि जबलपुर जिले की जनपद पंचायत शहपुरा में शासन स्तर पर लिये गये निर्णयों का पूर्णतः पालन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी उन मजदूरों की व्यवस्था करना जो दैनिक मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करते हैं। इसमें वे मजदूर भी शामिल थे जो आजीविका के लिये अन्य शहरों और प्रांतों में गये थे और अब वापस लौटे थे। ऐसे संकट के समय में चुनौतिपूर्ण कार्यों को करने के लिए जनपद पंचायत शहपुरा की सभी ग्राम पंचायतों ने एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में मोर्चा थामा। प्रस्तुत है जनपद पंचायत शहपुरा की पंचायतों की एक रिपोर्ट :

अब तक जनपद पंचायत शहपुरा की सभी ग्राम पंचायतों में बेसहारा, बेघर और गरीब परिवारों की आजीविका के लिए लगभग 40 क्विंटल गेहूं, 45 क्विंटल चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1–1 किलो दाल निःशुल्क प्रदान की गयी। इस पंचायत में कोई भी गरीब या निराश्रित परिवार भूखा नहीं सोया है।

ग्राम पंचायत नटवारा

ग्राम पंचायत नटवारा के सरपंच श्री श्रीकांत अग्निहोत्री, सचिव श्री राकेश सिंह तथा सहायक सचिव श्री अरविन्द पटेल ने व्यवस्था के कार्य में अति सक्रियता दिखाई पंचायत द्वारा बाहर से आए लगभग 20 मजदूरों के रहने और खाने का प्रबंध किया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें उनके गांव भेजने की व्यवस्था की।

हुआ यह कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में डिण्डौरी जिले से 13 पुरुष, 5 महिलाएं तथा 2 बच्चे रोज़गार की तलाश में ग्राम पंचायत नटवारा जनपद शहपुरा पहुंचे। नटवारा में इन मजदूरों ने श्री शक्ति प्रसाद चौरसिया के यहां कृषि कार्य शुरू किया। इसी दौरान 23 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने के साथ सभी निर्माण कार्य बंद हो गए।

यह मजदूर यहीं फंसकर रह गए। कृषक द्वारा कुछ दिन तक इन मजदूरों का भरण–पोषण किया गया। परन्तु 30 अप्रैल को इन मजदूरों ने अपने गांव जाना चाहा, परन्तु लॉकडाउन की स्थिति में स्पष्ट निर्देश थे कि जो जहां है वो वहीं रहे। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा समस्त मजदूरों को माध्यमिक शाला परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने और साफ–सफाई रखने की विधिवत ट्रेनिंग दी गई।

इन्हें आवासीय बालिका छात्रावास में ठहराया और इनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई। उन्हें सफाई किट, सेनेटाइजर और मास्क भी प्रदाय किये गये। शासकीय निर्णय अनुसार 2 अप्रैल को इन मजदूरों को बस से उनके घर डिण्डौरी भेज दिया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के भोजन, सफाई की व्यवस्था की गई। किट, मास्क वितरित किये गये और संपूर्ण ग्राम पंचायत को सेनेटाइज कराया गया। ग्राम पंचायत नटवारा द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है।

ग्राम पंचायत सिहोदा

ग्राम पंचायत सिहोदा में छिंदवाड़ा जिले के हर्रई के 27 मजदूर लॉकडाउन के कारण वहीं रुक गये। पंचायत के सरपंच और सचिव ने उनके रहने तथा खाने का सम्पूर्ण प्रबन्ध किया। फिर उन्हें बस द्वारा उनके गृह जिले भेजने की व्यवस्था की। पंचायत द्वारा साफ–सफाई और कोरोना से बचाव के लिए विस्तृत प्रचार–प्रसार किया गया। दीवार लेखन कार्य भी सराहनीय रहा।

ग्राम पंचायत सुन्द्रादेही

ग्राम पंचायत सुन्द्रादेही द्वारा बेसहारा और बेघर लगभग 27 गरीबों को नियमित भोजन करवाया गया। पंचायतों ने सभी ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का प्रशिक्षण भी दिया है।

मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना

श्रमिकों की मददगार बनी मध्यप्रदेश सरकार आपदा में फंसे मजदूरों को दिये एक–एक हजार रुपये

- **मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना–2020 के माध्यम से 3 जून तक 1 लाख 50 हजार से अधिक श्रमिकों के खातों में जमा हो चुकी है 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि।**
- **अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक आवश्यकता जैसे भोजन, दवाई आदि के लिए एक हजार रुपये प्रति मजदूर के मान से दिये गये।**
- **मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे अन्य 22 राज्यों के 7000 प्रवासी श्रमिकों को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रति मजदूर दिये गये 1000 रुपये।**

श्रमिक और मजदूर हमारी अधोसंरचना और निर्माण की नींव हैं, उनकी अथक मेहनत और परिश्रम से ही हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। श्रमिक वर्ग किसी भी निमार्ण कार्य या उद्योग की प्राथमिक इकाई होते हैं, इनके बिना सुदृढ़ निर्माण की कल्पना भी नहीं जा सकती है। कोरोना संकटकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मजदूर और श्रमिकों को लेकर खास चिंतित रहे तभी तो उन्होंने इस वर्ग के लिये ठोस योजनाएं बनाईं और उनके हित में कई कल्याणकारी निर्णय लिये। प्रदेश के मुखिया का साफ और स्पष्ट निर्देश रहा कि संकट की घड़ी में श्रमिक वर्ग के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। प्रदेश सरकार पूरी ताकत और प्रतिबद्धता से उनके साथ है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति को भी लाभ देना है तथा अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करना है।

कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने श्रमिक और मजदूर वर्ग के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ संबल प्रदान करने कार्य किया और निरंतर कर रही है।

मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना–2020 के माध्यम से श्रमिकों और मजदूरों को सहायता पहुंचाई जा रही है। एक ओर जहां अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों की मदद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे अन्य 22 राज्यों के 7000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति मजदूर 1000 रुपये देने का निर्णय लिया गया।

जरूरतमंद, श्रमिक और मजदूर वर्ग के प्रति अति संवेदनशील हैं प्रदेश मुखिया

देशभर में जब कोरोना का कहर चल रहा है तब मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के साथ–साथ प्रवासी मजदूरों के लेकर भी काफी चिंतित हुए। उन्होंने लॉकडाउन में मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना–2020' जैसा सराहनीय कदम उठाया और 15 अप्रैल 2020 को इस योजना को घोषित करने के साथ ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिला कलेक्टर को दिशा–निर्देश दिए।

इस योजना पर किस तेजी से काम किया गया इसका अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं कि योजना शुरू होने से महज 8 दिन के अंदर इस योजना के तहत

अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के 15 हजार प्रवासियों की सूची बना ली गई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना–2020 के माध्यम से 30 मई तक 01 लाख 50 हजार से अधिक श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा की जा चुकी है।

मृत प्रवासी श्रमिकों के परिजनों को मिली सहायता राशि

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अन्य राज्यों से उनके मूल राज्यों की ओर जा रहे प्रवासी श्रमिकों के मध्यप्रदेश में किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख की सहायता राशि दी जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिसका पालन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की भी कुछ दुर्घटनाओं में मृत्यु हुयी है। इन सभी मजदूरों के परिवारों को एक–एक लाख रुपये की सहायता राशि मध्यप्रदेश सरकार देगी।

घायलों का नि:शुल्क इलाज किए जाने के साथ ही उन्हें 25–25 हजार रुपये की सहायता राशि भी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। हर मजदूर की हम भरसक मदद करेंगे। इसी क्रम में गुना एवं सागर जिले में कुछ दिनों पहले हुई सड़क दुर्घटना में अन्य राज्यों के मृत प्रवासी श्रमिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता राशि से एक–एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

बड़वानी जिले के नेवाली ब्लॉक के एक मजदूर परिवार में पति–पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ मोटर साइकिल से घर लौट रहे थे तभी सेंधवा बार्डर के पास एक ट्रॉले ने उनको टक्कर मार दी थी, जिससे पति–पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पीड़ादायक घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों को 14 लाख रुपये की आर्थिक सहायता (एक लाख रुपये बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए तथा 13 लाख की एफ.डी. उनके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए) प्रदान करते हुए कहा कि हम उन मासूम बच्चों के संरक्षक हैं तथा उनका पूरा ध्यान रखेंगे।

संकट के इस दौर में मजदूरों को विभिन्न कार्यों और योजनाओं का लाभ दिये जाने से प्रदेश को काफी बल मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार सभी वर्गों को राहत देने के लिये संकल्पबद्ध है।

श्रमिकों और मजदूर वर्ग के सहयोग से एक बार फिर देश उड़ान भरेगा और व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम पहले से बेहतर तरीके से काम करते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे।

● **रश्मि रंजन**

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना में प्रवासी मजदूरों की जानकारी, पता, मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी जुटाने के बाद जरूरतमंद मजदूरों को तात्कालिक आवश्यकता जैसे भोजन, दवाई इत्यादि के लिए प्रति मजदूर 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ उन प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के साथ–साथ योजना के लागू होने के दिनांक तक अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर रहे हैं। सभी जिलों के कलेक्टर योजना के पात्र मजदूरों की जानकारी विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी राहत आयुक्त को दी रही है। इसके अलावा राज्य–स्तरीय कॉल सेन्टर में सीधे ऐसे प्रवासियों की जो जानकारी आ रही उसे मैप आईटी को हस्तांरित किया जा रहा है। मैप आईटी द्वारा जो सूची जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाई जा रही है, उन मोबाइल नम्बर पर कॉल करवाकर कलेक्टर मजदूर का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, (ग्राम, निकाय, ब्लाक, तहसील और जिला), मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, समग्र आईडी, बैंक एकाउंट विवरण आईएफसी सहित एवं जहाँ व्यक्ति फंसे हैं, वहाँ क्या व्यवसाय कर रहे थे जैसी जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

जिस आवेदित व्यक्ति के पास आधार नम्बर अथवा समग्र आईडी नहीं है इस स्थिति में संबंधित जिले द्वारा उसकी पहचान, मध्यप्रदेश में निवासी होने का सत्यापन के अन्य माध्यम जैसे पंचायत सचिव से बात करके अपना वोटर आई. डी., खाद्यान्न पर्ची, मनरेगा का जॉब कार्ड इत्यादि शासकीय दस्तावेज से की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर जिले द्वारा आवेदित व्यक्ति के दस्तावेजों को वाट्सएप अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी प्राप्त की जा रहा है। यदि आवेदित व्यक्ति के साथ मध्यप्रदेश के अन्य लोग भी फंसे हैं जो इस योजना में पात्र हैं तो उनका भी उपरोक्त विवरण मोबाइल नम्बर की लोकेशन मैप आईटी या वाट्सएप से सत्यापित करवाना जरूरी किया गया है। जिला कलेक्टर को जैसे–जैसे सत्यापित जानकारी प्राप्त हो रही है, वैसे–वैसे संबंधित व्यक्ति के बैंक खातों में राशि जमा करवाई जा रही है अथवा ई–वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन–पे, योनो इत्यादि से भी भुगतान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र मोबाइल नम्बर पर एक ही भुगतान किया जाए। साथ ही एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार भुगतान न हो।

जीवन अमृत योजना

मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिये
कारगर है आयुर्वेदिक काढ़ा

कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी से समूचा विश्व पीड़ित है। कोविड-19 महामारी से बचाव की अब तक कोई दावा नहीं बनी है। इस रोग से लड़ने के लिए आवश्यक है कि शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाये।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से त्रिकटु चूर्ण बांटा जा रहा है। मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा बनाये गये इस त्रिकटु चूर्ण का 50 ग्राम का पैकेट लोगों को बांटा जा रहा है।

आयुष विभाग का दावा है इस काढ़े के सेवन से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।

आयुष विभाग का यह दावा निश्चित रूप से कारगर साबित हो सकता है। उपचार की आयुर्वेदिक पद्धति पुरातन और प्राकृतिक पद्धति है। इसमें प्रकृति के साधनों, तत्वों और जड़ी बूटियों का उपयोग कर औषधियां बनाई जाती हैं।

क्या है त्रिकटु काढ़ा

यह त्रिकटु चूर्ण मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा बनाया गया है। यह काढ़ा कोरोना वायरस रोकने में कारगर है। सौंठ, पीपली और काली मिर्च मिलाकर यह चूर्ण बनाया जाता है। आयुष विभाग का कहना है कि इस चूर्ण से बनने वाले काढ़े का उपयोग करने से गले का इंफेक्शन दूर हो जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस का हमला सीधे गले पर होता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो इस त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल करें। कोरोना से बचाव के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आयुष पद्धति के जरिए कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है और ऐसे में यह त्रिकटु चूर्ण कोरोना से बचाव में असरकार होगा।

यदि काढ़े का इस्तेमाल किया जाये तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गयी जीवन अमृत योजना में आयुर्वेदिक औषधि (काढ़ा) का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। इस त्रिकटु चूर्ण (काढ़ा) का वितरण आयुष विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवसथा द्वारा वितरित किये जाने वाले इस काढ़े की वितरण व्यवस्था में जिला कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस योजना के नोडल अधिकारी हैं तथा जिला आयुष अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी हैं।

गांवों में आयुर्वेदिक औषधि पैकेट का वितरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर इसके वितरण के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड अनुसार दल बनाये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज व्यवस्था द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े के वितरण के साथ होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक औषधियाँ वितरित की जा रही हैं।

इसके लिये अपर मुख्य सचिव पंचायत राज संचालनालय द्वारा निर्देश भी जारी किये गये हैं।

निर्देशानुसार औषधियों के वितरण के लिए कोरोना संक्रमित तथा प्रभावी क्षेत्र जहाँ पर प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों और प्रांतों से आये हैं वहाँ औषधियां प्रमुखता से वितरित की जायें। त्रिकटु काढ़ा बनाकर पिलाने और आर्सेनिक एल्ब 30 के वितरण के भी निर्देश दिये गये हैं।

पंचायत राज व्यवस्था में जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रत्येक औषधालय स्तर से दो व्यक्तियों का दल बनाया गया है। जो अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव के माध्यम से औषधि वितरण का कार्य कर रहे हैं।

काढ़ा कैसे बनायें

आयुष विभाग द्वारा दिये गये त्रिकटु चूर्ण (काढ़ा) पैकेट में से 5 ग्राम (1 छोटा चम्मच) तुलसी की 3 से 5 पत्तियां, 1 लीटर पानी (6 कप पानी) में डालकर उबालें, आधा रहने पर घूंट-घूंट कर पियें।

मनरेगा मजदूरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया जा रहा है काढ़ा

खण्डवा जिले के अम्बापाट गांव में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को आयुष विभाग द्वारा प्राप्त आयुर्वेदिक त्रिकटु का काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है। खण्डवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान कोरोना महामारी के संकट के समय प्रदेश सरकार की जीवन अमृत योजना के तहत रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाया जाकर मजदूरों को पिलाया जा रहा है। इस काढ़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उल्लेखनीय है कि अब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिये कोई औषधि ईज़ाद नहीं हुई है। अत: इस महामारी से बचाव के लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है।

गांवों में पंचायत अमले द्वारा सभी मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराये गये हैं।

● संध्या पाण्डेय

कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय

कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से पूरे विश्व में मानव जाति पीड़ित है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाये रखने में हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रोग में बचाव ही सबसे अच्छी चिकित्सा है।

सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। अतः इस रोग से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करना ही बेहतर है।

आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित सरल उपायों के द्वारा व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर कर सकता है।

आयुष मंत्रालय द्वारा श्वसन तंत्र, स्वास्थ्य संबंधी बचाव और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए ''स्वयं-देखभाल'' के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह आयुर्वेदिक ग्रंथों और वैज्ञानिक पत्रों पर आधारित है।

सामान्य उपाय

पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं।

आयुष मंत्रालय की सलाह के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें।

हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय

च्यवनप्राश 10 ग्राम (1 चम्मच) सुबह लें। मधुमेह के रोगी शुगर फ्री च्यवनप्राश लें।

तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुण्ठी (सूखी अदरक) और मुनक्का से बनी हर्बल टी या काढ़ा दिन में एक से दो बार पिएं। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या ताजा नींबू रस मिला सकते हैं।

गोल्डन मिल्क - 150 ग्राम गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें।

सामान्य आयुर्वेदिक उपाय

नस्य - सुबह-शाम तिल, नारियल का तेल या घी नाक के दोनों छिद्रों में लगाएं।

केवल - 1 चम्मच तिल, नारियल तेल को मुंह में लेकर दो से तीन मिनट कुल्ले की तरह मुंह में ही घुमाएं। उसके बाद उसे कुल्ले की तरह ही थूक दें। फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में एक से दो बार करें।

गले में खराश के लिए

दिन में कम से कम एक बार पुदीना के पत्ते या अजवाइन डाल कर पानी की भाप लें। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में दो से तीन बार लें।

ये उपाय सामान्य सूखी खांसी और गले में खराश के लिए लाभदायक हैं, फिर भी अगर लक्षण बने रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें।

हर मजदूर को काम देने का संकल्प

कोरोना संक्रमण समय में लॉकडाउन के दौरान कुछ हद तक संक्रमण रुका, लोग जागरूक हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए समय मिल गया। लॉकडाउन में जो जहां था वहीं रुक गया। इस बीच एक बड़ा श्रमिक वर्ग जो रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़ दूसरे स्थान पर था उनमें असुरक्षा का भाव जागा और फिर शुरू हुआ घर वापसी का सिलसिला।

मध्यप्रदेश में प्रवासी मजदूरों के वापसी के साथ उनके रोजगार को लेकर मंथन चला।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के रोजगार को लेकर अभूतपूर्व फैसला लिया और शुरू किया श्रमसिद्धि अभियान। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सबको श्रम प्राप्त होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हरेक के श्रम की सिद्धि होगी। इस अभियान को नाम दिया श्रम सिद्धि अभियान। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों तथा रोजगार की तलाश में बाहर गये श्रमिकों को वापस आने पर उनके गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए मनरेगा योजना के तहत बड़े स्तर पर रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ किये गये हैं। इन कार्यों में नए श्रमिकों को जोड़ा जायेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा रोजगार कार्ड वितरण महाअभियान प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से हम उन परिवारों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें अब तक जॉब कार्ड नहीं मिले हैं अथवा जॉब कार्ड अकार्यशील हो गये हैं।

श्रम सिद्धि अभियान में सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाए। उनके जॉब कार्ड बनवाएं, उन्हें मनरेगा के अन्तर्गत कार्य दिया जाये। पंजीयन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मजदूर कुशल है, अकुशल है अथवा अर्द्धकुशल। उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न उद्योगों और अन्य कार्यों में नियोजित किया जायेगा। हर मजदूर को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जायेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

श्रमसिद्धि अभियान डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से चलाया जा रहा है। पूर्व में किये गये सर्वे के उपरान्त हमारी आबादी में बहुत से बदलाव हो गये हैं। प्रदेश में वर्तमान में प्रवासी श्रमिक वापस आये हैं। इन सबको शामिल करने के लिए गांव–गांव मजरे टोले तक सर्वे किया जा रहा है। पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सर्वे किया जाकर जॉब कार्ड आवंटित किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत काम मांगने पर जॉब कार्ड परिवार को 100 दिवस के रोजगार की गारंटी है। मजदूर की मांग अनुसार जॉब कार्ड और आवश्यक जानकारी के आधार पर कार्य दिया जाता है। मजदूरी की राशि सीधे श्रमिक के खाते में जाती है। यदि श्रमिक का बैंक खाता नहीं है तो उसे खाता खोलने में सहयोग किया जाता है।

प्रदेश का मजदूर अब मजबूर नहीं है। हरेक को मजदूरी का कार्य मिलेगा इसी उद्देश्य के साथ 22 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि तथा श्रमिक शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर स्थित 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से 100 जनपद केन्द्र जुड़े तथा अन्य जनपद मुख्यालय पर भी लिंक शेयर कर ग्राम प्रधान और मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

श्रम को सिद्ध करने के उद्देश्य से आरंभ इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरपंचों और मजदूरों से सीधी बात की। उन्हें श्रम सिद्धि अभियान की जानकारी भी दी तथा कुछ श्रमिकों को जॉब कार्ड भी वितरित किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान गांवों की व्यवस्था को जाना, राशन पहुंचा या नहीं यह जांच पड़ताल की, स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारेंटाइन की व्यवस्था के बारे में जाना और सरपंचों को इस अभियान को गति देने के लिये प्रेरित किया। अच्छा कार्य करने पर पंचायतों को पारितोषिक देने की घोषणा भी की।

वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 ग्राम पंचायतों में 19 लाख 92 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय से 21 अप्रैल तक 35 लाख 45 हजार 292 मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 42.2 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया।

आपसे मिलने की तड़प रहती है

श्रम सिद्धि अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों एवं श्रमिकों से कहा कि मेरे मन में आप सबसे मिलने की तड़प रहती है। कोरोना के चलते मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहा हूँ, इसीलिये आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं जनता को संदेश दे रहा हूँ कि मध्यप्रदेश की भूमि पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रांत का हो, भूखा नहीं सोएगा तथा हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिलाया जाएगा।

मजदूरों, किसानों, गरीबों की सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान शासन द्वारा निरंतर प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई। मजदूरों को उनके खातों में राशि भिजवाई गई, बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन, सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसाईयों आदि को राशि उनके खातों में अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा गेहूँ उपार्जन की राशि उनके खातों में भिजवाई गई।

मनरेगा से रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर

एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार

बालाघाट जिले में एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित

बालाघाट जिले में 22 मई 2020 की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5246 कार्य प्रगति पर हैं। इनमें 4520 कार्य हितग्राहीमूलक कार्य हैं और 726 कार्य सामुदायिक कार्य हैं। इन कार्यों में 2076 कार्य जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े है। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया है। 20 अप्रैल से 22 मई 2020 तक जिले में मनरेगा से 17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जा चुका है।

जिले में एक लाख 04 हजार मजदूर बालाघाट जिले में अन्य राज्यों से वापस आये हैं। बाहर से आये मजदूरों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें भी मनरेगा में काम दिया जा रहा है। बालाघाट जिले में मनरेगा से प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को काम मिल रहा है।

एक लाख 8 हजार मजदूरों को मास्क का किया गया वितरण

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी मजदूरों को मास्क लगाकर या मुंह पर गमछा बांधकर काम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फिट की दूरी बनाये रखने की भी सलाह दी गई है । मनरेगा में काम कर रहे एक लाख 08 हजार मजदूरों को मास्क का वितरण किया जा चुका है। मनरेगा के कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है।

मजदूरों में मैं भगवान देखता हूँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे मजदूरों, गरीबों, किसानों में भगवान दिखाई देते हैं। इनकी सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा है। हमने विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हमारे मजदूरों को प्रदेश लाने के साथ ही अन्य प्रदेशों के मध्यप्रदेश में आए तथा यहां से गुजरने वाले मजदूरों की भी पूरी सहायता की। मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था प्रदेश में समुचित रूप से की गई। बार्डर पर प्रतिदिन 01 हजार बसें मजदूरों के लिए लगाई गईं हैं। भारत सरकार की सहायता से मजदूर स्पेशल ट्रेनों से भी बड़ी संख्या में श्रमिक वापस आए हैं।

अपने गाँव को कोरोना से सुरक्षित रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरपंचों से कहा कि वे अपने गाँव को कोरोना से सुरक्षित रखें। यह आपकी जिम्मेवारी है। ग्राम पंचायत में सभी मास्क लगाएं, एक-दूसरे के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखें, बार-बार हाथ धोयें, स्वच्छता रखें तथा कहीं भी भीड़ न लगायें। बाहर से आए मजदूरों के साथ मानवीयता का व्यवहार करें। उनका अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण हो तथा 14 दिन के लिए उन्हें क्वारेंटाइन में रखा जाए।

सरपंच और श्रमिकों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अशोकनगर की ग्राम पंचायत बाबूपुर के सरपंच श्री रामपाल यादव तथा वहां के श्रमिक श्री संग्राम सिंह अहिरवार एवं पिपरई ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रोमा राय से वीसी के माध्यम से बातचीत की। इसी प्रकार उन्होंने श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत ढोंढपुर की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी जाट एवं श्रमिक श्री लीलाराम जी, आगर-मालवा जिले की ग्राम पंचायत वीजानगरी के सरपंच प्रतिनिधि श्री मदन सिंह एवं श्रमिक श्री पप्पू रजराम, पंचलाना ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पवन पाटीदार, भिण्ड जिले की असोखर ग्राम पंचायत के सरंपच श्री सुवेन्द्र नरवरिया एवं श्रमिक श्री मनोज यादव, शिवपुरी जिले की खैराई ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चंदन सिंह यादव तथा श्रमिक श्री रंजीत आदिवासी, बगैधरी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती प्रेमबाई दुबे तथा कृष्णगंज की सरपंच श्रीमती रामकली धानौ से बातचीत की। उन्होंने सरपंचों एवं श्रमिकों से कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को काम मिलेगा, सब मिलकर काम करेंगे तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

सरपंच शब्द का अर्थ बताया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरपंच गाँवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सरपंच शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि सरपंच शब्द में 'स' का अर्थ है समानदर्शी, 'र' का अर्थ है रत्न, 'प' का अर्थ है परिश्रमी तथा 'च' का अर्थ है चौकीदार। सरपंच समानदर्शी होते हैं, रत्न के समान होते हैं, परिश्रमी होते हैं तथा वे ग्राम की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पाँच माह का नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री ने सरपंचों को बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम में पहले तीन माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया था। अब दो माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया है। यह राशन, राशन कार्डधारियों के अलावा उन्हें भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। सरपंच यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्तियों तक राशन पहुंच जाए।

प्रवासी मजदूरों को भी संबल योजना से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि शासन ने संबल योजना को पुन: प्रारंभ किया है। अब हम प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ रहे हैं। यह योजना गरीबों

के लिए वरदान है। इसके अंतर्गत गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म व उसके पश्चात माँ को 16 हजार रुपये की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये प्रदाय किये जाते हैं।

अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरंपचों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में गाँव की आवश्यकता के अनुरूप अच्छा एवं गुणवत्तायुक्त कार्य करवाएं। अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 2 लाख रुपये का प्रथम, एक लाख रुपये का द्वितीय तथा 50 हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

● पंचायिका डेस्क

प्रदेश की 99 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में प्रारंभ हो गए रोजगारमूलक कार्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद को रोजगार मुहैया कराने के संकल्प की पूर्ति के लिए प्रदेश की 99% से अधिक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत रोजगारमूलक कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 9 कार्य प्रगतिरत हैं जिनमें औसत रूप से 100 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 484 में एक लाख 86 हजार 12 रोजगारमूलक कार्य संचालित किए जा रहे हैं, इनमें 22 लाख 44 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इनमें अन्य प्रदेशों से लौटकर आए तथा प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है।

20 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों की गाइडलाइन जारी करने के बाद से मध्यप्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गतिविधियों को और तेजी से प्रारंभ किया गया है इसी का परिणाम है कि 99 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में रोजगार गतिविधियों प्रारम्भ हो चुकी हैं। मनरेगा के तहत ऐसे रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ किये गए हैं जिन्हें वर्षाकाल के दौरान भी जारी रखा जा सके, साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को भी मनरेगा के तहत प्राथमिकता से कराया जा रहा है।

मनरेगा के तहत अभी तक 829.84 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान श्रमिकों को किया जा चुका है। इसमें 439 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि चालू वितीय वर्ष और 390 करोड़ रुपये की गत वर्ष की मजदूरी का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त 391 करोड़ रुपए की सामग्री का भुगतान भी किया जा चुका।

मनरेगा के तहत प्रदेश के 4 जिले अशोकनगर, इंदौर, कटनी और पन्ना की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगारमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके तहत अशोकनगर जिले की सभी 334 ग्राम पंचायतों में 2 हजार 874 कार्य प्रगतिरत हैं जिनमें 27 हजार 173 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

इसी प्रकार इंदौर जिले की सभी 312 ग्राम पंचायतों में 1 हजार 508 कार्य कराए जा रहे हैं जिनमें 16 हजार 222 श्रमिक, कटनी जिले की सभी 407 पंचायतों में 5 हजार 335 कार्य जिनमें 59 हजार 549 श्रमिक, पन्ना जिले की 395 ग्राम पंचायतों में 3 हजार 223 कार्य जिनमें 28 हजार 178 श्रमिक कार्यरत हैं।

श्रम सिद्धि अभियान में संलग्न अमला तथा अभियान का संचालन

मिशन लीडर : कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा स्वयं इस कार्य के मिशन लीडर होंगे।

सहायक मिशन लीडर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा इस कार्य में संबंधित जिले के सहायक मिशन लीडर होंगे। कार्यक्रम संचालक जिला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला स्तर पर कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

जनपद पंचायत स्तर– मिशन लीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम), सहायक मिशन लीडर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कार्यक्रम संचालक सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा।

ग्राम पंचायत स्तर : ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अन्य अमला जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उचित समझे, राज्य आजीविका मिशन (NRLM) से संबंधित अमला जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि स्व–सहायता समूह का कोई पात्र सदस्य जॉब कार्ड से वंचित ना रहे।

श्रम सिद्धि अभियान मुख्य बिन्दु

- श्रम सिद्धि अभियान का उद्देश्य डोर टू डोर सर्वे कर प्रदेश में प्रवास से वापस आए मजदूरों व कार्य करने की इच्छुक अन्य मजदूरों का पता लगाना है।
- मजदूरों को कार्य की आवश्यकता का आकलन करना।
- जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें जॉब कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना व जॉब कार्ड बनाया जाना।
- ऐसे मजदूर जिनके पास पूर्व में जॉब कार्ड थे लेकिन उनके पलायन या अन्य किसी कारण से अकार्यशील हो गए हों उन्हें पुन: बनाया जाना।
- श्रमिक को मनरेगा अंतर्गत कार्य के अधिकार से अवगत कराना।
- मजदूर को मनरेगा के प्रावधानों की जानकारी देना ग्राम में खोले गए कामों की जानकारी देना। श्रमिक को मजदूरी की दर, व्यक्तिमूलक, सामुदायिक कार्यों के बारे में विस्तार से बताया जाना।
- श्रमिक की मांग अनुसार उसे काम उपलब्ध कराया जाना।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मजदूर जिसे काम की आवश्यकता हो वह कार्य से वंचित ना रहे।
- प्रवास से वापस लौटे मजदूरों, स्व–सहायता समूह के सदस्यों के परिवारों, वनाधिकार पट्टाधारी परिवारों, वल्नरेबल तथा वंचित वर्ग के परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना तथा मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
- यह सुनिश्चित करना की जॉब कार्ड व अन्य दस्तावेज मजदूर के ही पास रहें वे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी के पास ना रहें। उपरोक्तानुसार जॉब कार्ड अन्य व्यक्ति/पदाधिकारी के पास पाये जाने पर उसके विरुद्ध मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों तथा अन्य संगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना।
- श्रमिक के बैंक खाते खुलवाये जाने संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाकर उनके बैंक खाते खुलवाये जाना।

जिला स्तर

- मिशन लीडर व जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय, क्लस्टर स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय टीमों का गठन किया जावेगा व कार्यक्रम की सतत् मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग की जावेगी।

जनपद स्तर

- प्रति 5 से 10 पंचायतों के मध्य संकुल स्तरीय टीम का गठन किया जावेगा। इस टीम में पीसीओ, एडीईओ आदि विकासखंड के अन्य अधिकारी कर्मचारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रखे जा सकेंगे। यह टीम ग्राम स्तरीय टीम के सतत् संपर्क में रहेगी तथा उनसे प्रोग्रेस लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से जनपद के मिशन लीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अवगत करावेगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सतत् रूप से अभियान पर निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परिवार सर्वे से वंचित ना रहे तथा कार्य की मांग करने वाला परिवार कार्य से वंचित ना रहे। टीम को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा।

ग्राम पंचायत स्तर

- ग्राम पंचायत स्तरीय टीम ग्राम के प्रत्येक घर का भ्रमण कर निर्धारित सर्वे फॉर्म **परिशिष्ट** भरेगी यह ध्यान रखा जावेगा की इस सर्वे में गांव के दूरस्थ मजरे टोले सहित कोई भी परिवार ना छूटे।
- इस सर्वे के अनुसार जिस किसी को भी जॉब कार्ड की आवश्यकता हो उसे सर्वे टीम द्वारा जॉब कार्ड के लिए फार्म भरवाया जाएगा।

- ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड बनाकर प्रदान किया जावेगा।
- श्रमिकों को कार्य की आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उसे कार्य प्रदाय किया जावेगा।
- ऐसे जॉब कार्ड जो पूर्व में जारी किये गये थे लेकिन बाद में मजदूरों के प्रवास या अन्य किसी कारण से निरस्त हो गये थे। उन्हें भी पात्रतानुसार पुनः जारी किया जावेगा।
- मनरेगा अंतर्गत ग्रामों में किये जा रहे कार्यों का लेखांकन व सार्वजनिक प्रदर्शन किया जावेगा। दीवार लेखन कर अभियान की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी, मुनादी, पत्राचार माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जायेगा।
- जिन श्रमिकों के खाते बैंक में नहीं हैं उनके खाते खुलवाये जाने की कार्यवाही भी की जावे।

पात्र श्रमिकों का मनरेगा सॉफ्ट में पंजीयन कर नया जॉब कार्ड बनाना प्रक्रिया

क्रमांक	डाटा एन्ट्री फिल्ड	विवरण
1.	गांव*	श्रमिक जिस ग्राम में निवासरत है उस ग्राम का चयन करना
2.	परिवार के मुखिया का नाम*	परिवार के मुखिया के नाम की प्रविष्टि करें जिसका जॉब कार्ड बनना है
3.	पिता/पति का नाम*	जॉब कार्ड धारी के पिता/पति का नाम की प्रविष्टि करें
4.	परिवार पहचान पत्र*	परिवार का पहचान पत्र (कोई भी एक) का चयन करें
5.	मकान संख्या	श्रमिक के मकान क्रमांक की प्रविष्टि करें
6.	वर्ग	श्रमिक की वर्ग का उल्लेख करें
7.	पंजीकरण की तारीख*	पंजीकरण दिनांक की प्रविष्टि करें
8.	ई.पी.आई.सी. क्रमांक	ई.पी.आई.सी. क्रमांक की प्रविष्टि करें
9.	क्या बीपीएल परिवार है	श्रमिक के बीपीएल परिवार होने की पुष्टि हेतु हां या ना का चयन करें
10.	परिवार का आई.डी.	परिवार के बीपीएल आईडी की प्रविष्टि करें

ग्राम पंचायतों को कोविड रिस्पांसिबल बनाने के लिये पंचायत राज अमले तथा स्व–सहायता समूहों के साथ सीधा संवाद

मध्यप्रदेश सरकार के तत्वावधान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा यूनिसेफ, सोशल पॉलिसी यूनिट के सहयोग से कोविड–19 महामारी के बारे में सही जानकारी, उससे बचाव, रोकथाम तथा पुनर्वास के उपायों पर स्थानीय अभिशासन (सेल्फ गवर्नेंस) रिस्पांस प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए जन जागरुकता अभियान की शुरुआत की गयी। 18 मई, 2020 को इस अभियान का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया।

इस अभियान को बड़े पैमाने पर ''क्षमता विकास कार्यक्रम'' के रूप में आयोजित किया जायेगा। इस अभियान की योजना श्री बी.एस. जामोद संचालक पंचायत राज संचालनालय के निर्देशन में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत श्री प्रफुल्ल जोशी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एम पीएमयू) तथा यूनिसेफ के सपोर्ट से तैयार की जा रही है। जिसके तहत प्रदेश की कुल 22812 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित समस्त ग्राम, ग्राम सभा तथा मध्यप्रदेश आजीविका मिशन द्वारा गठित लगभग 2 लाख 80 हजार स्व–सहायता समूहों तक इस जन अभियान कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचने का लक्ष्य है। जिसके तहत व्यापक दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण राहत और बुनियादी सेवाओं के वितरण से जुड़े 2500 से अधिक जमीनी कार्यकर्ता, समाजसेवी संस्थाएं, सामुदायिक संगठन आदि भी शामिल हैं।

इस अभियान का पहला उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन एनआईसी द्वारा वीसी के माध्यम से किया गया तथा इसका मार्गदर्शन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा किया गया। लगभग 1400 अधिकारी तथा जमीनी अमले व स्व–सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा भागीदारी की गई, जिसके अंतर्गत जिला तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन के जिला तथा ब्लॉक प्रबंधक, मनरेगा डेटा मैनेजर आदि शामिल हुए।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन को सामान्य बनाने तथा सामाजिक, आर्थिक सेवाओं को दोबारा से शुरू करने के लिये शासन स्तर से विभिन्न विभागों और संस्थाओं के समन्वय से अंतिम व्यक्ति तक सहायता और सुधार के कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2 लाख 80 हजार महिला स्व–सहायता समूहों, सक्रिय समूहों के माध्यम से 10 लाख मास्क, 10 लाख लीटर सेनेटाइजर तथा करीब 1 लाख पीपीई किट तैयार किया गया है जो अपने आप में कोरोना बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए पंचायतों की ओर से की गई बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही यूनिसेफ के तकनीकी प्रशिक्षण दल द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण तीन मुख्य स्तंभों पर केन्द्रित है–

1. जोखिम संचार, सामुदायिक जुड़ाव, पंचायत राज संस्थान तथा स्व–सहायता समूहों की भूमिका जिसमें अंधविश्वास, सामाजिक, मानविक भेदभाव आदि की सही जानकारी और उन पर अंकुश लगाने के सही उपाय सम्मिलित हैं।

2. मूलभूत सेवाएं जैसे राशन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के तहत दिये जाने वाले डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर शामिल हैं। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से गरीब परिवार, महिला, वृद्ध, विकलांग एवं बच्चे शामिल हैं।

3. कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिये पंचायत स्तर से किया जाने वाला बचाव और रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों, तैयारियों, व्यवस्थाओं, साधन, संसाधनों की उपलब्धता जिसके अंतर्गत राशन, दवाइयां, क्वारेंटाइन सेंटर, आवश्यक चिकित्सा सुविधा, आवागमन सुविधा, पका हुआ भोजन, बच्चों एवं महिलाओं के लिये पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, पेयजल, गांव को सेनेटाइज तथा साफ–सफाई आदि गतिविधियों तथा तैयारियों से संबंधित रिपोर्टिंग चार्ट, चेक लिस्ट के माध्यम से

निगरानी और स्व-मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को जानना और सीखना।

इन तीनों विषयों के ऊपर यूनिसेफ के प्रशिक्षण दल द्वारा प्रेजेन्टेशन अथवा वीडियो फिल्म के माध्यम से प्रतिभागियों को कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न जानकारी और जागरुकता के लिए आवश्यक तथ्य प्रदान किये गये। साथ ही इस कार्ययोजना के तहत बतायी गयी प्रक्रियाओं को धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक बेहतर ढंग से मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ-साथ कोरोना बीमारी से बचाव के उपाय और विभिन्न अनाधिकारिक स्रोतों से फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं, भ्रान्तियां तथा अंधविश्वास से बचने के कारगर उपाय और जानकारी को महत्वपूर्ण बताया गया तथा उससे संबंधित समुचित जानकारी भी प्रदान की गई।

इस संबंध में समस्त जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत सीईओ को इन मुद्दों और विषयों पर पूर्ण प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों तथा स्व-सहायता समूह, सामाजिक संगठनों के मार्गदर्शन और सहयोग देते हुए इसके तहत की जाने वाली गतिविधियों, प्रक्रियाओं को रोल आउट (संचालित) करने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया, जो संपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।

प्रशिक्षण में यहां भी आपसी सहमति से तय किया गया कि सभी जिले सोशल डिस्टेन्सिंग का उपयोग कर आगे ग्राम पंचायत स्तर पर अमले तथा प्रतिनिधियों को भी इसी प्रकार से प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिसमें लगभग 1000 प्रशिक्षणार्थियों के लिये आवश्यक अधोसंरचना की तैयारी तथा प्रत्येक जिलों का प्रशिक्षण कैलेण्डर शामिल हैं। यूनिसेफ भोपाल के प्रमुख श्री माईकल जूमा ने ग्राम पंचायतों तथा महिला स्व-सहायता समूहों के आपसी समन्वय से पंचायतों में कोविड-19 से रोकथाम, नियंत्रण और राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका को अंगीकृत करते हुए कहा कि ग्रामों में गरीब तथा अति गरीब परिवार, वृद्धजन, दिव्यांगजन, कुपोषित, छोटे बच्चे, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, श्रमिक, भूमिहीन तथा छोटे किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारजनों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उनके लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा आदि का प्रबंध और व्यवस्थाएं संचालित की जावेंगी।

कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिये पंचायत स्तर से किया जाने वाला बचाव और रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों, तैयारियों, व्यवस्थाओं, साधन, संसाधनों की उपलब्धता जिसके अंतर्गत राशन, दवाइयां, क्वारेंटाइन सेंटर, आवश्यक चिकित्सा सुविधा, आवागमन सुविधा, पका हुआ भोजन, बच्चों एवं महिलाओं के लिये पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, पेयजल, गांव को सेनेटाइज तथा साफ-सफाई आदि गतिविधियों तथा तैयारियों से संबंधित रिपोर्टिंग चार्ट, चेक लिस्ट के माध्यम से निगरानी और स्व-मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को जानना और सीखना। मूलभूत सेवाएं जैसे राशन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के तहत दिये जाने वाले डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर शामिल हैं। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से गरीब परिवार, महिला, वृद्ध, विकलांग एवं बच्चे शामिल हैं।

इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि शासकीय आदेशों, दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं, जरूरी सेवाओं, राहत कार्यों आदि को नियंत्रित रूप से प्रारंभ करने के लिये जिला प्रशासन के समन्वयन से जिला जनपद, ग्राम पंचायत की भूमिका निर्धारित की जाकर जन जागरुकता लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। सभी ग्राम आधारित सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं जैसे- स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन, जन वितरण प्रणाली से जुड़ी दुकानों, सहकारी बैंक, बाजार आदि के शासन के द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिये अलग से पंचायती राज तथा यूनिसेफ के संयुक्त सौजन्य से विस्तृत प्रशिक्षण तथा यूजर मेन्युअल तैयार किया जायेगा। जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों को भेजा जावेगा।

● **वीना बन्धोपाध्याय**
यूनीसेफ

स्व–सहायता समूहों ने 1 करोड़ से अधिक मास्क का किया निर्माण

स्वावलम्बन और सशक्तिकरण की मिसाल

मध्यप्रदेश के स्व–सहायता समूह

आज पूरा देश कोराना वायरस से बचाव में लगा है। इसका कोई इलाज अब तक ईज़ाद नहीं हुआ है। अतः इससे बचाव के उपाय ही एकमात्र विकल्प हैं। इससे बचाव कई तरह से किया जाना है। जिसमें मुंह पर मास्क लगाना, बार–बार हाथ धोना, सेनेटाइज करना, पी.पी.ई. किट से सुरक्षित करना शामिल है।

जैसे–जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया, कोरोना से बचाव की आवश्यक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती गयी। कोरोना से बचाव के लिये उपयोग की जाने वाली जरूरी सामग्री को बाहर से मंगाना मुश्किल था। कोरोना से बचाव की इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का जिम्मा लिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने। आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने मोर्चा थामा और काम में जुट गईं। प्रदेश में कुल 2 लाख 89 हजार स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक वस्तुओं की जरूरत को देखते हुए स्व–सहायता समूहों ने प्रदेश के हर जिले, हर गांव में मास्क, सेनेटाइजर, साबुन, हैंड वॉश का निर्माण शुरू कर दिया। स्व–सहायता समूहों द्वारा प्रदेश भर में एक करोड़ 5 लाख 30 हजार से अधिक मास्क का निर्माण किया गया। स्थानीय स्तर पर निर्माण का यह आंकड़ा कतई साधारण नहीं है।

क्या–क्या प्रयास किये गये

आजीविका मिशन के माध्यम से निर्मित स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक सहायक सामग्री में कॉटन बेस्ड वॉशेबल मास्क, सेनेटाइजर, पी.पी.ई. किट, हैंड वॉश, साबुन का निर्माण किया।

मास्क का निर्माण

कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक को मास्क आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण से बचाव के लिए इसे हरेक को लगाना जरूरी है। ऐसे में बड़ी संख्या में मास्क की आवश्यकता थी। तत्काल परिस्थिति में बाहर से मास्क महंगा होने के साथ आवश्यकता अनुरूप आपूर्ति संभव नहीं थी। इसलिए आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने सूती कपड़े के रोज धो सकने वाले मास्क का निर्माण शुरू किया। पूरे प्रदेश में अब तक 1 करोड़, 5 लाख, 30 हजार 713 मास्क बनाये जा चुके हैं। यह कार्य लगातार जारी है। मास्क निर्माण का यह कार्य 3 हजार 979 स्व–सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है और इसमें 12 हजार 359 सदस्यों द्वारा काम किया जा रहा है। समूहों के प्रयास से स्थानीय स्तर पर मास्क निर्माण से कम कीमत में तुरंत लोगों को मास्क उपलब्ध हुआ। मास्क की कालाबाजारी पर रोक लगी और आजीविका समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ हुआ।

सेनेटाइजर

कोरोना वायरस से बचाव के लिए जब सेनेटाइजर के उपयोग की मांग निर्मित हुई तब ग्रामीण स्तर पर सेनेटाइजर को पहुंचाना मुश्किल था। यही नहीं स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों में भी इसकी आपूर्ति की समस्या थी। ऐसे में स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर स्वास्थ्य अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन में सेनेटाइजर का निर्माण शुरू किया।

सेनेटाइजर निर्माण के लिए प्रमुख अवयव एथिल एल्कोहल (स्प्रिट) जिला प्रशासन के सहयोग से आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया तथा अन्य रसायन हाइड्रोजन पैराक्साइड, ग्लिसरीन, रोज वॉटर आदि स्थानीय पर प्राप्त किया।

प्रदेश भर में 255 स्व–सहायता समूहों के 1423 सदस्यों द्वारा 90 हजार 537 लीटर सेनेटाइजर का निर्माण किया गया। ये सेनेटाइजर विभिन्न विभागों जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों, स्थानीय अस्पतालों और आम जनों को मांग अनुसार प्रदान किया गया।

पी.पी.ई. किट

कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कोरोना वॉरियर्स के बचाव के लिये प्रदेश भर में बड़ी संख्या में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमैंड (पी.पी.ई.)

किट की आवश्यकता थी। इन्हें बाहर से मंगाना जहां महंगा पड़ रहा था, वहीं मांग अनुसार पूर्ति संभव नहीं थी। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्यकर्मियों की समस्या को दूर करने के लिए स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने पी.पी.ई. किट का निर्माण भी शुरू कर दिया। प्रदेश में 294 स्व-सहायता समूहों की 885 सदस्य इस कार्य में जुट गयीं और 97 हजार 318 पी.पी.ई. किट का निर्माण किया। इन किट को तुरन्त आवश्यकता अनुसार भेज दिया गया। किट निर्माण का कार्य अभी भी जारी है।

हैंड वॉश और साबुन

कोरोना का संक्रमण हाथ से नाक तक न पहुंचे। इसके लिये एकमात्र उपाय है कि बार-बार साबुन से हाथ धोना है। लॉकडाउन में गांव-गांव में साबुन और हैंड वॉश उपलब्ध होना मुश्किल था। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने जो पूर्व में भी साबुन निर्माण का कार्य करती थीं। युद्ध स्तर पर साबुन और हैंड वॉश का निर्माण शुरू किया।

आजीविका मिशन के 46 स्व-सहायता समूह की 165 सदस्यों ने 17 हजार 131 लीटर हैंड वॉश का निर्माण कर इसे स्थानीय स्तर पर ही नहीं, जिला स्तर तक भेजा। इसी तरह साबुन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 145 स्व-सहायता समूहों की 678 सदस्यों ने 2 लाख 2 हजार 35 साबुन का निर्माण किया। उत्पादन का यह सिलसिल अभी भी जारी है।

लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही थी। मध्यप्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने उत्पादों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोरोना से लड़ने के लिये एक करोड़ से अधिक मास्क और अन्य आवश्यक सामग्री का निर्माण करना और स्थानीय स्तर पर मांग को पूर्ण करना मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह के स्वावलम्बन का प्रमाण और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है।

● **रीमा राय**

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के लिये दिए 1555 करोड़ रुपये

पंच-परमेश्वर योजना में कर सकेंगे नये कार्य

ग्राम पंचायतों में कार्य को गति देने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 मई को पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि पंचायतों को मिलेगी और इससे पंचायत क्षेत्र में नये कार्य किए जा सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जा रही राशि से जो कार्य होंगे उन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में वर्गीकृत कर वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें 75 प्रतिशत राशि नवीन अधोसंरचना कार्यों में, 10 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्यों में, 7.5 प्रतिशत संधारण कार्यों में और 7.5 प्रतिशत राशि कार्यालयीन व्यय पर खर्च की जा सकेगी।

नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य

ग्राम पंचायतें 75 प्रतिशत राशि नवीन अधोसंरचनात्मक कार्यों में व्यय कर सकेंगी, जिनमें सीमेंट क्रांकीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण, गौ-शाला निर्माण, रपटा/पुलिया निर्माण (ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, शासकीय भवनों तथा श्मशान घाट/कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर), बाउंड्रीवॉल निर्माण - पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, स्कूल, आँगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवन, काँजी हाउस, पुस्तकालय भवन, बाजार चबूतरे/दुकान निर्माण/ग्राम चौपाल के लिये चबूतरा निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, पेवर ब्लॉक सड़क, सामुदायिक शौचालय/शासकीय भवनों में महिला/पुरुष शौचालय निर्माण और एलईडी स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसीफिकेशन अनुसार), सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच फुटपाथ, लाइट तथा पानी की व्यवस्था और नि:शक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण एवं रैंप निर्माण कर सकेंगी।

पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य

योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 10 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिये किया जा सकेगा।

संधारण कार्य

एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित स्थायी परिसंपत्तियों के संधारण एवं साफ-सफाई कार्य के लिये किया जा सकेगा।

कार्यालयीन व्यय

योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग कार्यालयीन/प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर मरम्मत, टेंट का किराया, कार्यालयीन स्टेशनरी, नेट सेंटर का मासिक भुगतान (अधिकतम रूपये 500/- प्रतिमाह तक), बीएसएनएल एवं सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रॉडबैण्ड का मासिक भुगतान, कम्प्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत, बीमा, वार्षिक रख-रखाव, भृत्य/चौकीदार/सफाईकर्मी/पंप ऑपरेटर का वेतन/मानदेय, बिजली बिल, राष्ट्रीय पर्व पर व्यय - व्यवस्था एवं पुरुस्कार वितरण आदि व्यय शामिल है।

ये कार्य रहेंगे प्रतिबंधित

ग्राम पंचायतों को योजनांतर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि से हैण्डपंप खनन एवं उसका संधारण, नलकूप खनन, मोटर पंप क्रय, पेयजल परिवहन पर व्यय, मुरमीकरण/ग्रेवल रोड, स्टापडेम/चैकडेम निर्माण, किसी भी प्रकार के वाहन का क्रय, स्वागत द्वार, प्रतिमा स्थापना, आईएसओ प्रमाणीकरण पर व्यय, सौर ऊर्जा लाइट पर व्यय, एयर कंडीशनर क्रय, मोबाइल, पानी का टैंकर और विज्ञापन पर व्यय नहीं किया जा सकेगा।

दमोह जिले में स्व–सहायता समूहों की महिलाओं ने बनाए
मास्क, सेनेटाइजर, पी.पी.ई. किट और कोरोना सेफ्टी सूट

कोरोना महामारी से लड़ने के लिये अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा उपकरण, संदर्भ सामग्री की आपूर्ति और फील्ड वर्कर्स को वांछित सुरक्षा सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा। तब मध्यप्रदेश के दमोह जिले में जिला प्रशासन ने समस्त आवश्यक प्रबंधन में विभिन्न स्तर पर कार्य किया।

थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क निर्माण : जिले में 16 केन्द्रों में 72 स्व–सहायता समूहों की 156 सदस्यों द्वारा लगातार मास्क निर्माण किया जा रहा है। कॉटन बेस्ड फेब्रिक पर तैयार किए जाने वाले इस वॉशेबल मास्क की लागत लगभग छः रुपये आती है। जिसे 10 रुपये में आम जन तथा विभिन्न विभागों को उपलब्ध किया जा रहा है। अब तक 90 हजार से अधिक मास्क स्व–सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किये गए हैं। मास्क निर्माण और बिक्री के इस उपक्रम में जहां लगभग 90 हजार लोगों को सीधे ही सस्ते मास्क प्राप्त हो रहे हैं वहीं 156 स्व–सहायता समूहों को दस बारह दिनों में 3 से 4 हजार रुपये की आय हुई है।

सेनेटाइजर : जिले के दमोह विकासखण्ड में चार स्व–सहायता समूहों की 22 सदस्य सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र में सेनेटाइजर निर्माण का कार्य भी कर रही हैं।

पी.पी.ई. किट : आजीविका मिशन के जिला स्तरीय सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित की गई कार्यशाला में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमैंट्स (पी.पी.ई.) किट तैयार की जा रही है। मिशन द्वारा तैयार सर्जिकल किट 90 जी.एस.एम. के नान वावेन फेब्रिक पर तैयार की जा रही है। किट में शामिल है लांग गाउन, हेड हुड, शूज कवर, सिंगल पेयर पैकिंग ग्लब्ज, सर्जिकल मास्क और जीरो पावर का चश्मा। मिशन द्वारा यह किट मात्र 300 रुपये में तैयार की गई और चिकित्सकीय अमले को उपलब्ध कराई जा रही है।

कोरोना प्रोटेक्शन थ्री लेयर सूट : सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. ममता तिमोरी तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिवाकर पटेल के निर्देशन में मिशन द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए थ्री लेयर का फुल बॉडी कवर सूट तैयार किया गया है। इस सिंगल पीस सूट में अन्दर और बाहर की परत में 90 जी.एस.एम. नॉन वावेन फेब्रिक का उपयोग किया गया है और दोनों परत के बीच में एक परत प्लास्टिक की डाली गई है और चेहरे को कवर करने के लिए प्लास्टिक के पारदर्शी शीट से फेस कवर शील्ड बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि यह तीन परत सुरक्षा वाले सूट जिसमें बीच में प्लास्टिक शीट डाली गई है, के माध्यम से वायरस संक्रमण की संभावना न्यूनतम हो जाती है। विभिन्न चिकित्सालयों द्वारा कोरोना प्रोटेक्शन थ्री लेयर सूट की 2000 से अधिक की मांग आ चुकी है जिसमें से 400 की पूर्ति की जा चुकी है। एक सूट को तैयार करने में लगभग 650 रु. की लागत आती है जिसे 700 रुपये में डॉक्टरों को उपलब्ध किया जा रहा है।

लाँग गाउन : मिशन की महिलाओं द्वारा सूती, धुलने वाले कपड़े से लाँग गाउन तैयार किए गए हैं। जिसके साथ हेड कवर भी है। यह गाउन फील्ड वर्कर्स के लिए उपयोग में आ रहे हैं। इस गाउन में पूरा शरीर ढंक जाता है और अंदर के कपड़ों तक संक्रमण नहीं पहुंचता है कर्मचारी शाम को घर पहुंचने पर बाहर ही यह गाउन उतार कर धो सकते हैं।

कहाँ–कहाँ भेजा गया यह सामान: दमोह जिले के अलावा भोपाल जिले में 300 पी.पी.ई. किट, सागर जिले में आर्मी हॉस्पिटल में 300, किट सतना जिले में 500 किट, नरसिंहपुर जिले में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के लिए 50 लीटर सेनेटाइजर, 300 नग मास्क आदि भेजा गया।

आजीविका स्व–सहायता समूह

गांवों में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अहम कड़ी

मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलम्बन के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व–सहायता समूह का निर्माण किया गया। ग्रामीण गरीब महिलाओं को आजीविका और स्थाई रोज़गार से जोड़ने की इस श्रृंखला के अभूतपूर्व परिणाम निकल कर आये हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 89 हजार 80 स्व–सहायता समूह का निर्माण किया गया है। इन समूहों के माध्यम से 32 लाख 46 हजार 106 परिवार जुड़ गये हैं। विगत 13 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के समस्त महिला स्व–सहायता समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग रोडमैप बनाए, प्राथमिकताएं तय करें तथा समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें।

प्रदेश में स्व–सहायता समूहों के द्वारा क्लस्टर आधारित मसाला फसल एवं सब्जी उत्पादन, उन्नत कृषि, जैविद खाद एवं जैविक कीट–नाशक का प्रयोग, मचान विधि से सब्जी उत्पादन, समूह उत्पादित सब्जियों का आजीविका फ्रेश के माध्यम से विपणन, एनडीडीबी डेरी सर्विसेज के सहयोग से दुग्ध वैल्यू चैन संबंधी कार्य (सागर, राजगढ़, आगरा में 19,876 हितग्राही द्वारा प्रतिदिन 18 हजार लीटर तक दुग्ध उत्पादन), 5 प्लांट्स मे. टेक होम राशन का निर्माण, कृषि सखियों द्वारा अन्य प्रदेशों– उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में महिला समूहों को प्रशिक्षण (724 सखियों द्वारा 2.95 करोड़ रुपये की आय), समुदाय द्वारा सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालन, 13 जिलों में उत्कृष्ट रूप से संचालित प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (03 बार भारत सरकार से पुरस्कृत) आदि प्रमुख हैं।

प्रदेश के गांवों में एक समूह से शुरू किया गया स्व–सहायता समूह का कारवां उपलब्धियां हासिल करता हुआ आगे बढ़ा। प्रदेश में 26 हजार 675 ग्राम संगठन बनाए गए हैं जिनमें 1 लाख 99 हजार 475 सदस्य शामिल हैं। ग्राम संगठन के बाद प्रदेश में

मजबूरी में मददगार

आजीविका मिशन के तहत स्व–सहायता समूह का निर्माण कर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के संकट में अपनी गरीबी दूर करने के लिए समूह से जुड़ी ये महिलाएं गांव में मजबूर गरीबों के लिये मददगार बनीं हैं। राजगढ़ जिले में 55 ग्रामों में समूह की महिलाओं ने ग्राम संगठन के तहत स्थापित आपदा कोष की राशि में से 600 से अधिक गरीबों को राशन तथा भोजन उपलब्ध करवाया। सारंगपुर जनपद के मकराना गांव की ग्राम संगठन अध्यक्ष श्रीमती आरती जाटव ने बताया कि इस संकट के समय में हमारी जिम्मेदारी है कि कोई गरीब भूखा नहीं रहे। हमने अपने समूहों के आपदा कोष में से गांव के अति गरीब 25 परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया है। मकराना गांव में 170 महिलाओं के 14 समूह गठित हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि हमने राशन सामग्री का वितरण असहाय, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, दृष्टिहीन लोगों और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उन्हें किया गया है। राशन सामग्री में 2 किलो आटा, 500 ग्राम चावल, 250 ग्राम तुअर दाल तथा 250 ग्राम तेल दिया गया। हमने गांव में मास्क ओर सेनेटाइजर का वितरण भी किया और उपयोग की समझाइश भी दी।

स्व–सहायता समूह

चलित किराना दुकान

कोरोना से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद थीं। आवश्यक खाद्य सामग्री और सब्जी आदि कैसे प्राप्त की जाये यह एक चिन्ता का विषय था। ग्रामीणों की इस आवश्यकता को पूर्ण किया प्रदेश की स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने। छतरपुर जिले के विकासखण्ड लवकुशनगर और बिजावर की स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने चलित किराना की दुकान के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर तक किराना उपलब्ध किया। कोरोना वायरस की रोकथाम की आवश्यक सामग्री साबुन, मास्क आदि भी पहुंचाया। लॉकडाउन के संकट समय में आजीविका मिशन के तहत निर्मित स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आम जन की सेवा के लिये किये गये यह कार्य लोगों की आवश्यकता को पूर्ण कर उन्हें चिंता मुक्त कर रहे थे वहीं समूह की महिलाओं को आर्थिक उपार्जन भी हो रहा था।

832 संकुल स्तरीय संगठन बन गये हैं। यह स्व–सहायता समूह गांव की कई गतिविधियों को संचालित कर स्व–सहायता से विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विभिन्न कार्यों और सेवाओं के माध्यम से गांव में सहयोगी की भूमिका में हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्व–सहायता समूहों द्वारा 39 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। ये समूह अपने व्यवसाय का हिसाब–किताब स्वयं रखते हैं। इसके लिए समूह की ही शिक्षित महिला को बुक कीपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश में 2 लाख 2 हजार 989 बुक कीपर्स प्रशिक्षित किये गये हैं।

स्व–सहायता समूहों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान करवाया जाता है। आजीविका मिशन के सहयोग से बैंकों से 1 लाख 76 हजार प्रकरणों में 1 हजार 462 करोड़ का ऋण समूहों को दिलवाया गया। ऋण से प्राप्त राशि से महिलाएं अपने छोटे–छोटे उद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करने के साथ ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। प्रदेश में स्व–सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण और व्यवसाय के विस्तार के लिए 1 लाख 75 हजार 56 स्व–सहायता समूहों को 222 करोड़ का रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया है।

कोविड संक्रमण काल में प्रदेश के सुदूर अंचल तक स्व–सहायता समूहों की बैंक सखियों द्वारा लेन–देन किया गया और गांव–गांव में सभी शासकीय योजनाओं और सरकार की मदद राशि पहुंचाई। खातेदारों को घर बैठे आर्थिक लेनदेन करवाया। यह कार्य प्रदेश में 1584 बैंक सखियों तथा 965 प्रशिक्षित बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस द्वारा किया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूह द्वारा किये जाने वाले कार्य हैं।

- **कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़े गये परिवार –** 9 लाख 5 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- **पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े परिवार –** 2 लाख 39 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- **गैर–कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां –** 3 लाख 52 हजार परिवारों द्वारा गैर–कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया गया है।
- **वस्त्र/परिधान –** स्व–सहायता समूहों से जुड़ी 32,300 से अधिक महिलायें परिसंघ अथवा स्वतंत्र रूप से सिलाई कार्य कर वस्त्र/परिधान तैयार कर रही हैं।
- **सेनेटरी नैपकिन –** मिशन द्वारा सेनेटरी नैपकिन का उत्पादन/रिपैकेजिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व–सहायता समूहों की 8360 महिलाएं जुड़ी हैं।
- **अगरबत्ती उत्पादन –** अगरबत्ती उत्पादन से 7320 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- **वॉश उत्पाद निर्माण –** 9310 समूह सदस्यों द्वारा साबुन, टॉयलेट, क्लीनर, वाशिंग पाउडर, फिनाइल एवं हैंड वॉश का निर्माण किया जा रहा है।
- **हथकरघा –** प्रदेश में 1236 हितग्राही हथकरघा कार्य में संलग्न हैं।
- **आजीविका फ्रेश –** स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों के

विक्रय के लिये 657 आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं।

- **उन्नत कृषि –** एस.आर.आई. पद्धति से 1,69,091 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है।
- **पोषण वाटिका –** लगभग 9 लाख 42 हजार 'आजीविका पोषण वाटिका' तैयार की गई हैं।
- **जैविक खेती –** जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8,78,555 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप पिट बनाए गए हैं।
- **व्यावसायिक सब्जी –** 4 लाख 60 हजार कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- **दुग्ध उत्पादन –** 1,53,387 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई है।
- **उत्पादक कंपनियां –** 39 उत्पादक कंपनियां (जिनमें 32 कृषि आधारित, 4 दुग्ध, 2 मुर्गीपालन, 1 लघु वनोपज) कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के स्व–सहायता समूह की महिलाएं कोविड संक्रमण के संकट काल में वॉरियर्स की भूमिका में हैं।

स्व–सहायता समूह की महिलाएं मॉस्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट का निर्माण करने के साथ कोरोना से बचाव के लिए सीख समझाइश दे रही हैं। वहीं जीने के लिए आवश्यक भोजन का प्रबंध भी कर रही हैं।

हर ग्रामीण को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समूह की बैंक सखियों ने गांवों में घर–घर जाकर पैसों का लेन–देन किया। लॉकडाउन में बैंक सखियों के घर पहुंच बैंक ने ग्रामीणों के हाथ में पैसा पहुंचाया है। लॉकडाउन समय में लोगों को राशन और आजीविका फ्रेश के प्रकल्प से सब्जी पहुंचाने का कार्य भी समूह की महिलाओं द्वारा किया गया।

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये निर्मित स्व–सहायता समूह ग्रामीण समाज के विकास की धारा के केन्द्र में है। कोरोना संक्रमण काल में समूह की महिलाओं के जोश, जुनून और जज्बे ने समाज के सामने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

● हेमलता हुरमाड़े

ग्राम पंचायत कोदरिया, जनपद महू, जिला इन्दौर

आसपास रेड जोन होने के बावजूद अपनी पंचायत का कोरोना से बचाव किया सरपंच ने

इन्दौर से लगी महू जनपद में शामिल ग्राम पंचायत कोदरिया बड़ी पंचायत है, लगभग 25 हजार जनसंख्या वाली इस पंचायत में एक ही ग्राम कोदरिया शामिल है। चूंकि कोदरिया ग्राम से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित महू शहर के कई इलाके रेड जोन ग्रस्त थे और इन्दौर जिले में कोरोना संक्रमण प्रदेश में सर्वाधिक है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र से घिरी कोदरिया पंचायत को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती था। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोदरिया की सरपंच अनुराधा जोशी ने बताया कि हमने सबसे पहले कोदरिया की समस्त सीमाओं को सील किया और एकमात्र मार्ग को आवागमन के लिये चालू रखा गया। वहां भी गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरिकेट्स लगाकर बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश बंद कर दिया। गांव में संक्रमण न फैले इसलिये गांव की सीमाओं को सील करना अनिवार्य था। लॉकडाउन के दौरान हमने सम्पूर्ण गांव को दो बार दवाइयों के छिड़काव द्वारा सेनेटाइज किया। हम ने गांव के प्रवेश द्वार पर 15 बाय 15 की टर्नल बनाकर फव्वारों के द्वारा गांव में प्रवेश करने वाले वाहनों को सेनेटाइज किया। गांव के हर घर में चलित आरो वाटर एटीएम द्वारा पानी का वितरण किया गया। गांव में जिन ग्रामीणों को राशन नहीं मिलता था, ऐसे करीब 600 से अधिक परिवारों को कोरोना संकट में राशन की व्यवस्था कराई गई। गांव में घर–घर किराना सामान पहुंचाया। चलित वाहन द्वारा राशन के पैकिट में सेनेटाइज करके सब्जी के पैकिट बनाकर उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराई गई। गांव के जो किसान अपनी सब्जी बेच नहीं पा रहे थे उनकी समस्या हल करने के लिये हमने गांव के बेरोजगार सब्जी वालों को उन किसानों से सब्जी खरीदने को कहा, इससे लोगों को उचित मूल्य पर ताजी सब्जी मिली और किसानों को आर्थिक उपार्जन प्राप्त हुआ। मैंने स्वयं लोगों को समझाया फल सब्जी को नमक के पानी से धोना है, उसके बाद उसे सुखाना है। फिर सब्जी बनाना है। हमने लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो सके इसके लिये समय–समय पर चलित वाहन द्वारा घोषणा करवायी कि आपको अपने घर में ही रहना है। बाहर नहीं निकलना है, अनिवार्य कार्य के लिये यदि बाहर भी निकलना है तो मास्क और हेंडग्लब्ज पहनकर ही निकलें और सोशन डिस्टेन्स दो गज की दूरी का पालन करें।

गांवों में बैंक सखियों ने किया पैसों का लेन–देन

ग्रामीण खातेदारों को घर पर ही 62 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि पहुंचाई

कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान पैसों का लेन–देन बड़ी समस्या थी। ऐसे में मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के तहत बनाई गई बैंक सखियां एक चलता–फिरता बैंक बन गयीं। कोई कल्पना कर सकता है कि सुदूर अंचल में बसे गांव में जहां तक पहुंचना सामान्यतः श्रमसाध्य होता है वहां कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थिति में ग्रामीणजनों के खाते में पैसे डालने और पैसे निकालने के लिये यह बैंक सखियां जा पहुंचीं।

यह बैंक सखियां बैंक प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की रोजमर्रा की गतिविधियों के लिये अधिकृत हैं। इन बैंक सखियों ने कोरोना संकट की घड़ी में गांवों में छोटी बचत करने वाले परिवारों और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरण की सुविधाएं उनके घर पर ही पहुंचा दी। प्रदेश भर में इस कार्य का जिम्मा लिया 652 बैंक सखियों ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में 62 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि खातेदारों के घर पहुंचाई।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व–सहायता समूह की शिक्षित महिलाओं को बैंक प्रणाली से जोड़ा गया है। ऐसी शिक्षित महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें बैंक सखी के रूप में पहचान दी गई। इन सभी बैंक सखियों ने इस दिशा में भी महिला सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ग्रामीणों द्वारा अपनी छोटी–छोटी बचत कर बैंक में जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से अपनी बचत राशि निकाली जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते अपनी बचत राशि की आवश्यकता होने और बैंक तक न पहुंचने की स्थिति में बैंक सखियों की मदद से ग्रामीणों को बैंक में जमा राशि आसानी से घर बैठे ही मिल गयी है। लॉकडाउन अवधि में 652 बैंक सखियों द्वारा बैंक खातेदारों के साथ 3 लाख 42 हजार बैंक ट्रांजेक्शन किये गये। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 62 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि संबंधित खातेदारों तक

घर बैठे मिला राशि का भुगतान

छतरपुर जिले में राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से बनी बैंक सखियों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर राशि पहुंचा कर अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए जिले की 32 बैंक सखियों ने 8 विकासखण्डों के 106 ग्रामों तक राशि पहुंचाई है। इनके द्वारा अप्रैल महीने में लगभग 9863 लोगों को घर पहुंच बैंक के द्वारा 1 करोड़ 9 लाख 31 हजार 400 रुपये का लेन–देन किया गया।

बैंक सखियों द्वारा लेनदेन

- जनधन योजना के तहत 7843 हितग्राहियों को 64 लाख 80 हजार 950 रुपये का आहरण किया गया।
- बीमा, पेंशन योजना के तहत 707 हितग्राहियों द्वारा 8 लाख 95 हजार 950 रुपये का आहरण किया गया।
- श्रमिक कल्याण निधि के 411 हितग्राहियों द्वारा 4 लाख 95 हजार 450 रुपये का आहरण किया गया।
- किसान निधि के 387 हितग्राहियों ने 5 लाख 60 हजार 600 रुपये का आहरण किया गया।
- मध्यान्ह भोजन के 402 हितग्राहियों को 5 लाख 450 रुपये का आहरण किया गया।
- 113 स्व–सहायता समूह सदस्यों को 19 लाख 98 हजार रुपये का आहरण किया गया।

पहुंची। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मध्यप्रदेश द्वारा गांवों में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। प्रदेश में 2 लाख 89 हजार से अधिक स्व–सहायता समूहों से 32 लाख 46 हजार परिवार जुड़े हैं।

आजीविका मिशन द्वारा इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ उनके द्वारा निर्मित सामग्री विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाता है। बैंक सखी कार्य के लिये आजीविका मिशन के तहत महिला स्व–सहायता समूह की शिक्षित महिलाओं को पहले प्रशिक्षित किया गया। फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिकृत किया गया है। प्रदेश में बैंक कार्य करने के लिए शिक्षित 652 महिलाएं बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। बैंक सखियों के माध्यम से ग्राहक किसी भी समय अपनी सुविधा से वित्तीय लेन–देन कर सकते हैं।

बैंकों द्वारा बैंक सखियों के लिए लॉकडाउन के दौरान कार्य करने के लिए आई.डी. कार्ड बनाए गए हैं। जिसमें बैंक सखियों को आवश्यक सेवा प्रदाता माना गया है। यह बैंक सखियां कोरोना महामारी से बचाव की आवश्यक सावधानियों का पालन कर रही हैं। इन्होंने अपने सेंटर पर 10 मीटर के गोले बनाए हैं, ताकि सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके। वित्तीय लेन–देन के दौरान इनके द्वारा सेनेटाइजर तथा मास्क का उपयोग किया जा रहा है।

इन बैंक सखियों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर पर ही बैंक से लेन–देन करने, खाता खोलने, बंद करने की सुविधा प्राप्त हो रही है।

बैंक सखियों द्वारा घर–घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा की सुविधा से अब गांव वालों को लंबी दूरी तय करके बैंक जाना, भीड़ में लाइन में लगना इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल गयी है।

क्या सुविधा है बैंक सखी की बैंकिंग सेवा में

- जन धन खातों में जमा राशि का आहरण।

बैंक सखी अनिता नागदिया

आगर मालवा विकासखण्ड में सुठेली ग्राम संगठन की श्रीमती अनिता नागदिया ने कोरोना संक्रमण के समय में 22 मार्च से 31 अप्रैल तक 1627 ट्रांजेक्शन किये तथा 80 लाख रुपये का कार्य किया। अनिता ने बताया कि लॉकडाउन में हमारे द्वारा घर जाकर बैंक सुविधा देने से जहां ग्रामीणों को सुविधा हुई है, वहीं हमें भी यह कार्य करने से आर्थिक लाभ हुआ है।

हमारी बैंक का व्यवसाय बढ़ने के अनुपात में हमें राशि प्राप्त हुई है। बैंक सखी बनने के बारे में पूछने पर अनिता ने बताया कि जब वह विवाह के बाद सुठेली गांव आयी तब वह 12वीं पास थी। पति धर्मेन्द्र कृषि कार्य करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह 2016 में आजीविका मिशन के दुर्गा स्व–सहायता समूह से जुड़ी इसमें पहले वह बुक कीपिंग का काम करती थी। तभी आजीविका मिशन बैंक सखी का नवाचार शुरू हुआ। मैं संकोच में थी पर मेरे पति ने हिम्मत दिलाई और मैंने जिला टीम के सहयोग से उज्जैन आकर बैंक सखी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के बाद मुझे मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से 50 हजार का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से मैंने लैपटॉप खरीदा और कियोस्क का कार्य शुरू हुआ। अब मैं सुचारु रूप से बैंक सखी का कार्य कर रही हूं। हर दिन एक से दो लाख का लेन–देन करती हूं इससे मुझे प्रतिमाह 20 हजार रुपये की आय प्राप्त होती है।

अनिता ने अपने किये गये कार्यों के बारे में बताया कि उसने अब तक 2500 ग्रामीणों के खाते खोले, 10 करोड़ 19 लाख का लेन–देन किया, 3200 सदस्यों को वृद्धावस्था पेंशन का वितरण, 101 समूहों का समूह बैंक लिंकेज, 3000 आधार लिंकेज खाता लिंक, 200 खातों में अन्य शासकीय योजनाओं अंतर्गत वितरण का कार्य, 2310 छात्रों को स्कॉलरशिप वितरण का कार्य 165 समूहों, 26 गांवों तक पहुंचकर किया गया।

ग्रामीणों का चलित बैंक : सीता गुर्जर

राजगढ़ जिले में बैंक सखियों की सक्रिय भागीदारी रही है, जिले में 111 बैंक सखियां लॉकडाउन के दौरान गांव वालों की मददगार साबित हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान जिले में बैंक सखियों ने 5 करोड़ 75 लाख से अधिक का वित्तीय लेन–देन कर ग्रामीणों को घर पर बैंक की सुविधा उपलब्ध करवायी। जिले की बैंक सखियों में ब्यावरा विकासखण्ड के कचनारिया गांव की सीता गुर्जर ने उत्कृष्ठ कार्य कर अनुकरणीय पहल की है। श्रीकृष्ण स्वसहायता समूह की अपने कार्य के प्रति समर्पित सीता गुर्जर ने लॉकडाउन में 11 लाख से ज्यादा का वित्तीय व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि वे 2010 में समूह से जुड़ीं और उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया, वे प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये कमा लेती हैं। राजगढ़ जिले की बैंक सखियों ने सक्रिय बैंक सखियों के रूप में पहचान बनाई है। जिले में राहत राशि जारी होने के दिन 3 अप्रैल से अब तक 6 करोड़ 75 लाख की राशि का अहरण किया गया।

- किसान सम्मान निधि का आहरण।
- मनरेगा मजदूरी का आहरण।
- वृद्धा, विधवा, पेंशन, स्कालरशिप का आहरण।
- जन धन बीमा।
- ग्रामीणों की बचत की राशि जमा करना तथा निकालना।
- संबल योजना के हितग्राही।

आजीविका मिशन की बैंक सखियों का यह नवाचार ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक लेन-देन और आवश्यक राशि के आहरण के लिये वरदान साबित हुआ है। इससे पूर्व यह कल्पना के बाहर था कि घर आकर कोई अपने खाते के पैसों को निकालने, जमा करने का कार्य कर सकेगा।

बैंक सखियों ने गांव-गांव जाकर घर-घर बैंक को पहुंचा दिया है। अब किसी ग्रामीण को पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिये चल कर नहीं जाना पड़ता, अपने खाते में आये अन्य योजनाओं के पैसे बैंक सखियों की चलती-फिरती बैंक घर देकर जाती है। ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाती यह बैंक सखियां लॉकडाउन के समय किसी देवदूत से कम नहीं हैं।

● पंचायिका डेस्क

बैंक सखी कांता मालवीय

लॉकडाउन के दौरान जब गांव में पैसों का हाथ में आना बहुत बड़ी समस्या थी वहीं राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखण्ड में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में बी.सी. सखी कांता मालवीय ने त्वरित गति से बैंक ट्रांजेक्शन किये और एक दिन तो उन्होंने ट्रांजेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये और प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कर प्रदेश में अव्वल रही हैं। कांता ने बताया कि यह वह समय था जब लोग हमारी घर पहुंच बैंक सेवा की राह देखते थे। हमारे घर पहुंच ट्रांजेक्शन सेवा से ग्रामीणों के चेहरों पर प्रसन्नता के भाव हमें दिखाई देते थे। जिसे देखकर हमें संतोष मिलता था। कांता ने हमें बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बी.सी. सखी के माध्यम से हमने 1402 ट्रांजेक्शन किये तथा 40 लाख 94 हजार 710 रुपये का लेन-देन किया। इस कार्य में सामान्यतः माह में कितनी राशि अर्जित हो पाती है यह पूछने पर कांता ने बताया कि वह पहले 15 हजार से 20 हजार रुपये महीने तक कमा लेती थीं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी दोहरी कमाई हुई है। एक तो लोगों की दुआ की कमाई, दूसरा बैंक का व्यवसाय बढ़ने से हमारी आय भी कई गुना बढ़ गयी है।

बैंक सखी हतरी भिन्डे

जोखिम उठाकर घर-घर पहुंचाई राशि

बैंक सखी हतरी भिन्डे ने सुदूर अंचल के क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को राशि पहुंचाने का साहसपूर्ण काम किया है। प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठिवाड़ा विकासखण्ड के मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बोकडिया की बी.सी. सखी हतरी भिन्डे ने बताया कि इस जिले में काम करना चुनौतिपूर्ण था लेकिन लॉकडाउन में लोगों को पैसों की आवश्यकता थी। ऐसे में हम खुद को कैसे रोक पाते। हमने हिम्मत की और लोगों की जरूरत के अनुसार बैंक का लेन-देन किया। श्रीमती हतरी ने बताया कि

23 मार्च से 19 मई के बीच हमने 864 ट्रॉन्जेक्शन किये तथा 37 लाख 54 हजार 200 रुपये का लेन-देन हुआ। जोखिम उठाकर लोगों के घर तक पैसे पहुंचाने वाली बैंक सखी हतरी भिन्डे से काम को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि लोगों को पैसे मिलने पर जो खुशी मिलती है उसे देखकर हमें अच्छा लगता है। दूसरा हमें भी आर्थिक लाभ मिलता है। बैंक सखी बनने के पहले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब हमें 15 हजार से 20 हजार तक की आय हो रही है।

आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर प्रदेश

देश में अग्रणी हैं मध्यप्रदेश के गांव

प्रदेश, देश या दुनियां में यह परिस्थिति असाधारण है। अर्थव्यवस्था ही नहीं जिन्दगी मानो जाम हो गयी थी। इस परिस्थिति में लगभग पन्द्रह लाख से अधिक वे लोग प्रदेश लौटे जो श्रम साध्य आधारित रोजगार के लिये प्रदेश से बाहर रोटी रोजगार कमा रहे थे। दुनियां में फैले इस कोरोना के चलते बेरोजगार होकर अपने गांव, घर लौटे इन श्रमिक बंधुओं की संख्या लगभग 15 लाख से अधिक है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश सरकार के सामने दोहरी चुनौती उत्पन्न हुई। एक तो मध्यप्रदेश में विकास की गति को सामान्य बनाना और दूसरे बेरोजगार होकर लौटे इन श्रमिक बंधुओं के हाथ में काम देना।

पदभार संभालते ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय बैठकें लीं और गांवों को स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भावना के अनुरूप अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास ने एक संपूर्ण योजना प्रस्तुत की गांवों को देश में अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ काम आरंभ किया। इस संकल्प के केन्द्र में गाँधी जी की वह कल्पना थी जिसमें उन्होंने गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, गांवों की सत्ता गांव में, गांव अपनी जरूरत के आकलन स्वयं करें, और इसी के अनुरूप विख्यात चिंतक पं दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपनी अंत्योदय परिकल्पना में सर्वांगीण समृद्ध गांव की कल्पना दी है जिसमें गांव स्वयं अपनी प्राथमिकता तय करें। प्रत्येक व्यक्ति विकास और निर्माण में सहभागी हों। गांव किसी भी तरह नगरों के आश्रित न रहें। मध्यप्रदेश सरकार ने इसी दिशा में अपने कदम बढ़ाये और ग्राम सभाओं से आग्रह किया कि वे अपनी योजना स्वयं बनायें। इस संकल्प के अनुरूप ग्राम सभाओं ने अपनी प्राथमिकता के अनुरूप योजना बनाना शुरू किया।

हमारे गांवों में मुख्यतया दो प्रकार की समस्या और एक प्रकार की जरूरत है। गांव की जरूरत को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो गांव की समस्या, दूसरी गांव की आवश्यकता और तीसरी भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप विकास की परिकल्पना।

गांव में मुख्य समस्या पेयजल की और सफाई की रहती है जबकि सबसे बड़ी जरूरत देशी या जैविक खाद की होती है। रासायनिक उर्वरकों से आज भले उत्पादन अधिक दिखता हो पर लंबे समय बाद धरती की उर्वरक क्षमता घटती हैं। इसलिए गोबर या जैविक खाद का प्रचलन बढ़ाना जरूरी है।

धरती के गिरते जल स्तर से गांव में पेयजल की समस्या खड़ी की। यदि वर्षा जल को रोका जाये और उसका सुप्रबंध करके कुओं में भेजा जाये तो इससे धरती का जल स्तर भी सुधरेगा और सूखते कुएँ बारह मासी हो जायेंगे।

पेयजल की इस समस्या का समाधान कुओं के अतिरिक्त पाइप लाइन और नल व्यवस्था से भी हल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह खुले में शौच जाना बंद हो और गांव के कचरे का सुप्रबंधन किया जाये तो इससे गांव स्वच्छ बनेंगे और खेतों को गोबर का या जैविक खाद मिल सकेगी।

तीसरा चरण भविष्य की जरूरत के अनुरूप सड़कों, यात्री प्रतीक्षालय, उचित मूल्य की दुकानें या हाट बाजार के शेड के निर्माण, और ऐसे कुटीर अथवा लघुतम उद्योगों की स्थापना जिसमें गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, इनमें फेस मास्क, पीपीई किट, हैंड सेनेटाइजर, सेनेटरी नैपकिन, मुरब्बा अगरबत्ती अथवा स्थानीय उत्पादन पर आधारित उद्योग की स्थापना आदि शामिल है

मध्यप्रदेश सरकार ने इसी दिशा में काम करना आरंभ किया

यह संयोग ही है कि गांवों की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की जिस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू किया, ठीक उसी दिशा में निर्देश 15वें वित्त आयोग से आये। इसका कारण यह है कि गांवों की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता का सपना गाँधी जी ने देखा था। जिसमें गांवों के समग्र विकास की कल्पना की गयी थी जिसमें मध्यप्रदेश के गांव न केवल आर्थिक और प्रशासनिक आत्मनिर्भर बनें बल्कि गांव

हमारे गांवों में मुख्यतया दो प्रकार की समस्या और एक प्रकार की जरूरत है। गांव की जरूरत को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो गांव की समस्या, दूसरी गांव की आवश्यकता और तीसरी भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप विकास की परिकल्पना। गांव में मुख्य समस्या पेयजल की और सफाई की रहती है जबकि सबसे बड़ी जरूरत देशी या जैविक खाद की होती है। रासायनिक उर्वरकों से आज भले उत्पादन अधिक दिखता हो पर लंबे समय बाद धरती की उर्वरक क्षमता घटती है । इसलिए गोबर या जैविक खाद का प्रचलन बढ़ाना जरूरी है। धरती के गिरते जल स्तर ने गांव में पेयजल की समस्या खड़ी की। यदि वर्षा जल को रोका जाये और उसका सुप्रबंध करके कुओं में भेजा जाये तो इससे धरती का जल स्तर भी सुधरेगा और सूखते कुएँ बारहमासी हो जायेंगे। पेयजल की इस समस्या का समाधान कुओं के अतिरिक्त पाइप लाइन और नल व्यवस्था से भी हल कर सकते हैं ।

के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाना आरंभ किया। वित्त आयोग ने भी वर्ष 2020-21 अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना में किये जाने वाले कार्यों के चयन के संबंध में राज्य सरकारों को जो गाइड लाइन भेजी वह भी इसी दिशा में है । मध्यप्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरुप गांवों को अपनी योजना बनाने के निर्देश दिये और ग्राम सभाओं ने योजना बनाना शुरू किया।

वित्त आयोग की गाइड लाइन के इन पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम में पेयजल के लिये तालाब का निर्माण, कुओं का निर्माण, शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग, जल का रीसाइक्लिंग करना, वर्षा जल का संग्रहण कुछ इस प्रकार करना कि वह रेत, गिट्टी, मिट्टी आदि से फिल्टर होकर कुओं में पहुँचे, पेयजल कूपों की मरम्मत और जहाँ आवश्यक हो वहां उन्हें गहरा करना, पेयजल का संग्रहण करने भूमिगत टंकियों का निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिये गांव में नाली का निर्माण, उन्हें कवर करना, गांव में सामुदायिक शौचालय और स्नानागार का निर्माण, गांव में यदि शासकीय भवन हैं तो उनमें स्त्री और पुरुष शौचालयों का अलग-अलग निर्माण, सामुदायिक कचरा पेटी, मैनुअल कचरा गाड़ी खरीदना, कचरा संग्रहणीय केन्द्र और सामुदायिक गोबर गैस एवं जैविक खाद यूनिट की स्थापना शामिल है। अब इसे मध्यप्रदेश सरकार की संकल्पशीलता कहें या पूर्व से बने मानस की विशेषता की इन अनुशंसाओं के अनुरूप मध्यप्रदेश में देश में सबसे पहले सभी 22812 ग्राम सभाओं ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं। इन योजनाओं को पोर्टल पर लोड करना था जो समय पर लोड भी हो गया।

मध्यप्रदेश सरकार ने न केवल योजनाएं प्रस्तुत कीं अपितु इस आपदा में देश भर से लौटे इन श्रमिक बंधुओं को अपने ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। इन श्रम साधकों को न केवल मनरेगा में काम देना आरंभ किया बल्कि मनरेगा में ऐसे कामों को जोड़ा जिनमें रोजगार के साथ गांव के भविष्य के विकास की पूरी झलक है।

ग्राम पंचायत विकास योजना यानि जीपीडीपी में यह सुनिश्चित करना भी है कि इसमें ग्राम सभाओं के अंतर्गत निवास करने वाले सभी समुदायों और ज़रूरतमंदों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें आवश्यक कामों के पूरा होने के साथ प्रत्येक जरूरत मंद को रोजगार मिल सके। ताकि अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी देश और प्रदेश के विकास की अग्रणी पंक्ति में आ सके।

● डॉ. विद्या शर्मा

कोरोना संकट में सड़क और पुल निर्माण का कीर्तिमान

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा पुल-पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रदेश की सड़क निर्माण की अन्य योजनाओं द्वारा गांवों को सड़कों से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन सुनिश्चित किया जाता है। विगत दिनों प्रदेश व्यापी लॉकडाउन से गांवों में सड़क निर्माण कार्य भी अवरुद्ध रहा। 20 अप्रैल से देश में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य शुरू होने से 31 मई तक प्राधिकरण द्वारा 1124 सड़कों और 352 पुलों के कार्य त्वरित गति से शुरू कर दिये गये। इन निर्माण कार्यों से लगभग 2 लाख 81 हजार श्रमिक दिवसों का सृजन हुआ। संधारण कार्यों में 3676 मार्गों के कार्य प्रारंभ किये गये जिससे 2 लाख 21 हजार श्रमिक मानव दिवसों का सृजन हुआ। ग्रामीण सड़क संपर्क को गति देने के लिए प्राधिकरण द्वारा तीव्र गति से किये गये कार्यों से श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ विकास की गति मिली।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते स्थिति को समझा और 24 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत पूरे देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद कर दी गईं। इनमें यातायात, व्यापार, कारखाने, ग्रामीण मार्गों या पुलों का निर्माण तथा संधारण सभी तरह की गतिविधियां शामिल थीं। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालय भी बंद कर दिये गए, जिससे प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य योजनाओं के कार्यों की प्रगति अवरुद्ध हुई।

योजना के कार्य रुकने से एक तरफ श्रमिकों के रोज़गार का संकट पैदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ कार्य तय समय पर पूर्ण न होने की चिंता बढ़ने लगी। केंद्र सरकार द्वारा स्थितियों की समीक्षा करने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए मार्ग एवं निर्माण इकाईयों को फिर से संचालित करने की छूट दी गई। प्रदेश में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने भी अपने विभिन्न कार्यों को पुन: प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन, कार्यस्थल पर बरती जाने वाली सावधानियां आदि के संबंध में निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही प्रदेश में अर्थ-व्यवस्था को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कॉन्ट्रेक्टरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 अप्रैल से भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

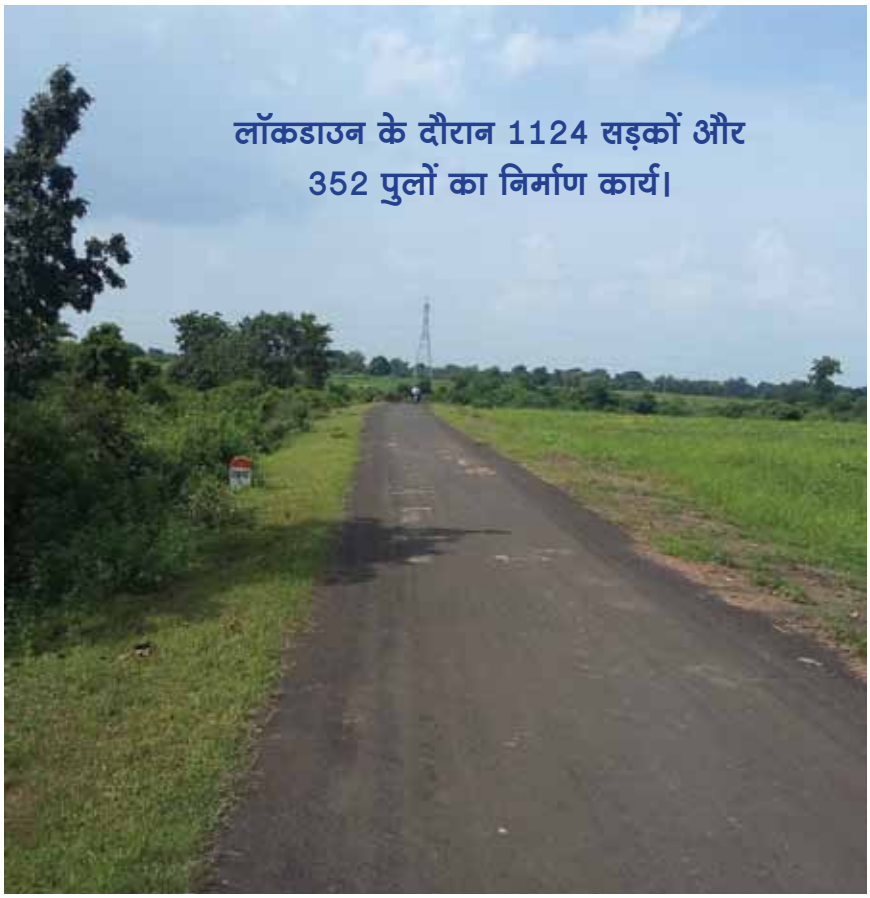

बैठक में संक्रमित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) से लोगों के आने-जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रखने और कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी से निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर जोर दिया गया। प्रदेश के अंदर आवागमन के लिए निर्माण कार्य में लगे लोगों को एकीकृत पास जारी किए

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है। प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ-साथ राज्य शासन की वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्रांवों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा संधारण का कार्य भी करवाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं में लगभग 85 हजार किलोमीटर लंबाई के मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्ण मार्गों में प्रारंभिक 5 वर्ष तक निर्माणकर्ता संविदाकार द्वारा संधारण कराया जाता है। 5 वर्ष के बाद प्राधिकरण के द्वारा अलग से 5 वर्ष के अनुबंधों के आधार पर संधारण कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले तथा पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक लोगों की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से आज छोटे-छोटे गांव भी शहरों से सीधे जुड़ गए हैं। इससे गांव के लोगों की शहरों के अस्पताल, स्कूल और मंडी तक पहुंच आसान हुई है और यात्रा की कठिनाई तथा समय में भी कमी आई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा 'मेरी सड़क' एप पर सड़क खराब होने या अभी तक नहीं बनने की स्थिति में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। इस एप को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की है।

गए, जिससे बार-बार हर जिले से अलग-अलग अनुमति नहीं लेनी पड़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रेक्टरों से अपने स्थाई मजदूरों के भोजन की व्यवस्था स्वयं करने को कहा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 50 वर्ष से अधिक उम्र के, हृदय रोगी, श्वांस रोगी, छोटे बच्चे और माताओं को काम पर न रखने की बात कही गई। प्रदेश में मानसून को देखते हुए बरसात के पूर्व 15 जून तक निर्माण कार्य पूर्ण करने, प्रदेश में 150 क्षतिग्रस्त पुलों के मरम्मत का कार्य भी समय-पूर्व किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद समस्याओं का निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा पुन: कार्य प्रारंभ किये गये। कार्य स्थलों पर मास्क, सेनेटाइजर आदि सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रमुखता से किया गया। निर्माण कार्यों को पुन: प्रारंभ करने की स्वीकृति मिलने के बाद प्राधिकरण द्वारा 31 मई की स्थिति तक पूरे प्रदेश में पहले प्रारंभ हो चुके प्रगतिरत कार्यों में से 1124 सड़कों और 352 पुलों के कार्य फिर से प्रारंभ किए गए, जिससे लगभग 2 लाख 81 हजार श्रमिक दिवसों का सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त 3676 मार्गों के संधारण कार्यों को भी पुन: प्रारंभ किया गया, जिससे 2 लाख 21 हजार मानव दिवसों का सृजन हुआ। इन कार्यों के पुन: प्रारंभ होने से एक तरफ जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोज़गार मिला, वहीं प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को गति मिली।

'ई - मार्ग' सॉफ्टवेयर

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा एन.आई.सी., भोपाल द्वारा ई-मार्ग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसका उपयोग संधारण कार्यों के भुगतान और मॉनीटरिंग के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य राज्यों में संधारण की मॉनीटरिंग के लिए ई-मार्ग नेशनल के रूप में विकसित किया गया है।

● **आदर्श शर्मा**

ग्राम जीवन और विकास को अद्भुत गति दी सरकार ने

कोरोना एक अत्यंत अकल्पनीय संकट का नाम है। प्रदेश और देश ही नहीं दुनियां की जिन्दगी न केवल जाम हो गयी बल्कि अस्तित्व का भी संकट आ खड़ा हुआ। यह संकट केवल एक बीमारी कोरोना से लड़ने भर नहीं है, अपितु अस्तित्व का संकट है। बीमारी तो प्राण लेवा है ही, इस पर भोजन की व्यवस्था और भविष्य की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने की चुनौती भी सामने है।

जिस तरह देश और प्रदेश भर में लॉकडाउन हुआ था उसकी तैयारी किसी के पास नहीं थी। वह सब अचानक हुआ। किसी को न संभलने का मौका मिला, न कुछ सोचने का। मानों सब कुछ जाम हो गया था। जो जहाँ था, वहीं रुक गया। फसल की कटाई अधूरी थी जहाँ हो गयी थी वहां अनाज खुले में पड़ा था। गांव हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं जीवन की रीढ़ हैं, जीवन की बुनियाद हैं। नगरों में भले आसमान छूती अट्टालिकाएं तनी हों, हवाई जहाज इतराते हों लेकिन यह सत्य है कि गांव के बिना नगरों का जीवन चल नहीं सकता। फल दूध सब्जी और अन्न के बिना कितने दिन टिक पायेगा नगरीय जीवन। इसलिये गांव में जीवन का संचार आवश्यक है।

यही प्राथमिकता मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की है। यह तो एक तथ्य है ही कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग सैंतीस प्रतिशत है। इस लॉकडाउन ने सब जाम कर दिया था। ग्रामीण जीवन को गति देने का अर्थ था कि जहां नगरीय जीवन को ऑक्सीजन देना वहीं देश की सैंतीस प्रतिशत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। हालत यह थी कि खेत से लेकर खलिहान तक फसल न केवल तैयार थी बल्कि उसका मंडी में आना आरंभ हो गया था। तभी अचानक लॉकडाउन आ गया।

मध्यप्रदेश में संकट के साथ अचानक हुए राजनैतिक परिवर्तन से भी सभी हतप्रभ

थे। कब रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा यह प्रश्न सबकी जुबान पर थे। किसी को सूझ ही नहीं रहा था क्या होगा, कैसे होगा। तभी जमीन से जुड़े और लंबे प्रशासनिक अनुभव लिये श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में सामने आये। वे तेरह साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। जमीन से जुड़ कर काम करना उनका स्वभाव है। उन्होंने एक क्षण का विलंब नहीं किया। अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर वे सीधे मंत्रालय पहुंचे तथा ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के अधिकारियों से परामर्श किया। अपने कार्यकाल के आरंभिक दिनों में शिवराज जी के सामने यह समस्या तो थी कि उनके साथ मंत्रिमंडल की टीम नहीं थी, उन्होंने अकेले ही शपथ ली थी लेकिन फिर भी अपनी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया। मंत्रालय पहुँचकर उन्होंने जहाँ स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और जीवन को संचालित करने के उपायों पर चर्चा की वहीं सबसे ज्यादा जोर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, किसान और किसानी की गति को पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा की। इन विषमताओं के बीच एक सुखद संयोग यह था कि जितने चिंतित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे उतने ही मुस्तैद ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के अधिकारी भी थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ग्रामीण विकास विभाग का पूरा अमला काम में जुट गया।

सामान्य दिनों में एक अप्रैल के आसपास रबी की खरीद शुरू हो जाती है लेकिन इस बार सब कुछ जाम हो गया था। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कलेक्टरों से संपर्क किया, अन्य विभागों से फीडबैक लिया और भविष्य के कार्य संचालन का एक स्वरूप तैयार किया। अंततः मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो तीन बड़े फैसले लिये, सबसे पहले तो उन्होंने घोषणा की कि फसल बीमा का 4229 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जायेगा। यह न केवल निर्णय हुआ अपितु एक बटन दबाकर सबके खाते में भेज भी दिया गया। दूसरा फैसला यह लिया कि जिन गांवों में कोरोना नहीं है और जो जिले ग्रीन तथा ओरेंज जोन में हैं, उनके गांव में मनरेगा के रुके हुए काम आरंभ हो जायें। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग छहः लाख से ज्यादा मजदूरों को काम मिल गया। तीसरा फैसला गांव में हार्वेस्टर भेजने का लिया। फसल की कटाई के लिये ये मशीने प्रदेश में पर्याप्त नहीं हैं। ये बाहर से आती हैं। लॉकडाउन के कारण बाहर से आने वाली ये मशीनें न आ सकीं।

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में महिला स्व–सहायता समूहों की भागीदारी

गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 6 जिलों में 16 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य महिला स्व–सहायता समूहों को सौंपा गया है। इन महिला समूहों द्वारा 2200 किसानों से एक लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह की भागीदारी सुनिश्चित कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कोरोना संक्रमण काल में रोजगार मुहैया कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के रतलाम, जबलपुर, पन्ना, विदिशा, दमोह और गुना जिले में 16 खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन का कार्य स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया गया। है। इसके साथ ही स्व–सहायता समूह के सदस्यों को मास्क, सेनेटाइजर, हैंड सोप और अन्य सामग्री निर्माण गतिविधियों से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने का कार्य निरंतर जारी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अग्रणी भूमिका में है। कोरोना महामारी के इस संकट में आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूह की महिलाएं रोजगार के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वर्ष गेहूं उपार्जन कार्य में भी स्व–सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ने की अभिनव पहल की गई।

फसल पककर खेतों में खड़ी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने अन्य विभागों से तालमेल बनाया और सेनेटाइजेशन की सख्ती के साथ इनकी अनुमति जारी की। इसके बाद सबसे बड़ा फैसल रबी फसल की खरीदी आरंभ करने का हुआ। यह खरीदी 15 अप्रैल से आरंभ हुई। यह खरीदी केवल उन क्षेत्रों में रोकी गई जो रेड जोन में थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समानान्तर रूप से तीन पक्षीय है। एक नगरीय उद्योग आधारित, दूसरा सर्विस सेक्टर और तीसरा कृषि आधारित। विकसित राष्ट्रों का स्वरूप निसंदेह बदल गया है लेकिन भारत में और विशेष कर मध्यप्रदेश में कृषि जीवन और अर्थव्यवस्था शुद्ध ग्रामीण है। इस कोरोना से नगरीय अर्थव्यवस्था तो मानो पूरी तरह बैठ गयी थी ऐसी स्थिति में ग्रामीण जीवन को पटरी पर लाना बहुत जरूरी था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कदम प्राथमिकता के साथ उठाया। शिवराज जी ग्रामीण और शुद्ध किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्हें दोनों प्रकार के अनुभव हैं। वे जानते थे कि यदि नगरीय अर्थव्यवस्था और जीवन जाम है तो ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था को गति देकर प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा की जा सकती है। उन्होंने यही किया।

सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि तुलाई के बाद तीन दिन के भीतर किसान के खाते में पैसा चला जाये। खरीदी के लिये किसानों का एक क्रम भी बनाया गया। वह यह कि पहले लघु और मध्यम किसानों से खरीदी होगी, बड़े किसानों को खरीदी की प्राथमिकता में रोका गया। खरीदी के इस सिस्टम में थोड़ा विलंब हो रहा था। एक तो मौसम के उतार–चढ़ाव ने बड़े किसानों के प्राण मानो कंठ में ला दिये। वे कभी आसमान देखते कभी अपने मोबाइल पर सूचना आने का इंतजार करते। किसान की अधीरता बढ़ने लगी थी। सरकार कदम–कदम का फीडबैक ले रही थी। बड़े किसानों की इस अधीरता की सूचना भी मंत्रालय पहुँची। अधिकारियों ने यह फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर तब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया।

वह यह कि व्यापारी किसान के खेत या खलिहान में जाकर फसल खरीद लें। तब किसान अपनी फसल का सेम्पल लेकर मंडी आता, पंजीयन कराता और लौट जाता। बाद में व्यापारी उसके खलिहान में काँटा लगाकर उठा लाता। यह निर्णय क्रांतिकारी साबित हुआ और खरीदी में नित नये रिकॉर्ड बनने लगे। इस साल की खरीदी ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये।

अर्थव्यवस्था के सुधार के लिये मुद्रा का परिचालन महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान परिस्थितियों में मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शिता से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल फूलों की खेती को बहुत ज्यादा, फलों की खेती को आंशिक नुकसान ही हुआ। अनाज और सब्जी का लगभग पूरा पैसा लोगों के हाथ में चला गया। अब यह उम्मीद की जा रही है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब मध्यप्रदेश के किसान के हाथों में आया यह पैसा बाजार में सर्कुलेट होगा जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

● **रमेश शर्मा**
वरिष्ठ पत्रकार और स्तम्भकार